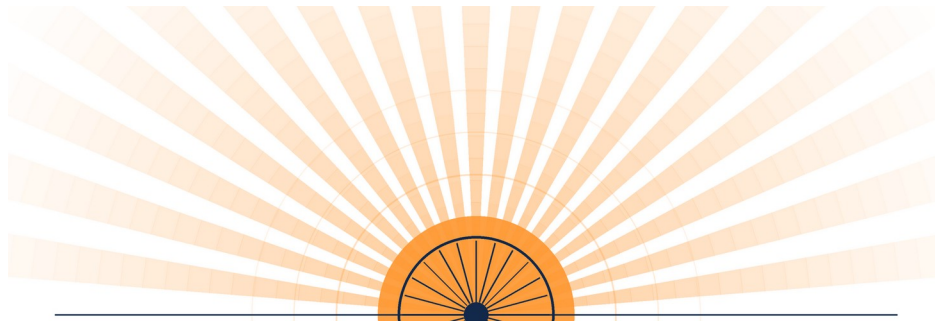




# UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartarihari's Shataktraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

*Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.*

आज का उद्धरण

“भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों लोगों की सेवा जो पीड़ा में हैं। इसका अर्थ है गरीबी, अज्ञान, रोग और अवसर की असमानता का अंत।”

— जवाहरलाल नेहरू, ‘नियति से साक्षात्कार’ (Tryst with Destiny), संविधान सभा में भाषण (14 अगस्त 1947)

द हिंदू (दिल्ली), द इंडियन एक्सप्रेस (मुंबई) और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली) — 1 अक्टूबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

## संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हजार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)

UPSC Darpan • 1 अक्टूबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

## हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

*Our inspiration, and the reason this initiative exists*



### Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

#### उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

- 1. सेवा परमो धर्म: — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
- 2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
- 3. Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
- 4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
- 5. Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
- 6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
- 7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

*We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्म: — and we shall become.*

## आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

**“स्ट्रीट-लेवल कर्मचारियों के निर्णय, उनकी बनाई दिनचर्याएँ और अनिश्चितताओं तथा काम के दबाव से निपटने के लिए उनके गढ़े तरीके ही, वास्तव में, वे सार्वजनिक नीतियाँ बन जाते हैं जिन्हें वे लागू करते हैं।”**

— **माइकल लिप्स्की** • ‘स्ट्रीट-लेवल ब्यूरोक्रेसी: डिलेमाज़ ऑफ़ द इंडिविजुअल इन पब्लिक सर्विसेज़’ (रसेल सेज फ़ाउंडेशन, 1980), प्रस्तावना उपयोग करें (Use in): UPSC की शताब्दी (लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को बना था) और घोषित नीति तथा ज़मीन पर पहुँची नीति के बीच की खाई (आज की खबर कि श्रम संहिताएँ लागू हुए दस महीने बीत गए, पर केवल 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने नियम अधिसूचित किए हैं; और दलहन-तिलहन के समर्थन मूल्य, जिनका वहाँ कोई अर्थ नहीं जहाँ कोई खरीद ही नहीं होती)। इसका उपयोग शासन, सेवा-प्रदाय, सिविल सेवा सुधार और लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका पर GS2 के उत्तरों में, और राज्य तथा नागरिक पर निर्बंधों में करें: शिक्षक, सिपाही, पटवारी और राशन विक्रेता ही वह जगह हैं जहाँ क़ानून सच बनता है। तर्क दें कि अग्रिम पंक्ति के रिक्त पद भरे जाएँ, प्रशिक्षण सबसे निचली सीढ़ी तक पहुँचे (मिशन कर्मयोगी), समयबद्ध लोक सेवा गारंटी क़ानून बने, और सामाजिक अंकेक्षण से नागरिक स्वयं जाँच सकें कि उन्हें क्या मिला।

**“जैसे पानी के भीतर तैरती मछली के बारे में यह पता नहीं लगाया जा सकता कि वह पानी पी रही है या नहीं, वैसे ही सरकारी काम में लगे कर्मचारियों के बारे में यह पता नहीं लगाया जा सकता कि वे (अपने लिए) धन ले रहे हैं।”**

— **कौटिल्य** • ‘अर्थशास्त्र’, अधिकरण II, अध्याय IX, “सरकारी कर्मचारियों के आचरण की परीक्षा” (अंग्रेज़ी अनुवाद: आर. ग्रामशास्त्री, 1915) उपयोग करें (Use in): सेवा-प्रदाय के बिंदु पर विवेकाधिकार और भ्रष्टाचार (आज का नैतिकता केस, जिसमें पुलिस अधीक्षक ऐसी FIR की समीक्षा करता है जिसका आरोपी वाला कॉलम खाली छोड़ दिया गया, और नागरिक के सामने बैठे बाबू पर आज का निर्बंध)। इसका उपयोग शासन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही पर GS4 के उत्तरों में, और पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार-निरोध पर GS2 के उत्तरों में करें: कौटिल्य ने यह नहीं माना कि अधिकारी ईमानदार होते ही हैं; उन्होंने निरीक्षण, तबादले और गुप्तचरों की व्यवस्था इसीलिए बनाई कि वे शायद ईमानदार न हों। तर्क दें कि इसके आधुनिक रूप अपनाए जाएँ: डिजिटल अभिलेख, सामाजिक अंकेक्षण, सूचना का अधिकार, संवेदनशील पदों से नियमित तबादले और व्हिसल-ब्लोअर को सुरक्षा, ताकि मछली पर कम से कम नज़र तो रखी जा सके।

**“यदि आपके पास एक अच्छी अखिल भारतीय सेवा नहीं होगी, जिसे अपने मन की बात खुलकर कहने की स्वतंत्रता हो, तो आपके पास एकजुट भारत नहीं होगा।”**

— **सरदार वल्लभभाई पटेल** • संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं पर भाषण, 10 अक्टूबर 1949 (संविधान सभा वाद-विवाद / Constituent Assembly Debates)

उपयोग करें (Use in): आज यूपीएससी (UPSC) का शताब्दी वर्ष है और यह उद्धरण तटस्थ, योग्यता-आधारित सिविल सेवा के विचार से जुड़ता है (नागरिक के सामने बैठे बाबू पर निर्बंध; श्रम संहिताओं वाला कार्ड, जहाँ राज्यों के बनाए नियम तय करते हैं कि मज़दूर को वास्तव में क्या मिलेगा)। इसे सामान्य अध्ययन-2 में लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका तथा अनुच्छेद 312 और 315-323 पर, और सामान्य अध्ययन-4 में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और स्पष्ट सलाह देने के साहस पर लिखे उत्तरों में प्रयोग करें: पटेल ने सेवाओं का बचाव इसलिए किया कि निर्भीक और सुरक्षित अधिकारी ही एक बहुल संघ को जोड़े रखता है। निश्चित कार्यकाल, तबादलों के लिखित कारण और फ़ाइल पर ईमानदार असहमति के संरक्षण के पक्ष में तर्क दें।

# अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड • पढ़ने का समय: लगभग 2 घंटे 0 मिनट

## प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)
- यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

## 1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

- 1.1 6 अक्टूबर से सात न्यायाधीशों की पीठ तय करेगी कि क्या विधायी विशेषाधिकार वाक्-स्वातंत्र्य पर भारी पड़ सकता है

## 2. अर्थव्यवस्था (Economy)

- 2.1 उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2024-25: कारखाने मूल्य और कामगार जोड़ रहे हैं, पर मज़दूरी पिछड़ रही है
- 2.2 श्रम संहिताएँ लागू हुए दस महीने बीते, केवल 10 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने नियम अधिसूचित किए
- 2.3 मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III को मंजूरी दी: बैटरियों सहित 135 GW के लिए ₹1.86 लाख करोड़

## 3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

- 3.1 मंत्रिमंडल ने गेहूँ का MSP लगभग स्थिर रखते हुए ₹2,610 किया, रबी की बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा तिलहन और दलहन को दिया
- 3.2 महाराष्ट्र ने 358 में से 265 तालुकाओं में सूखा घोषित किया, गन्ना कटाई मज़दूर कर्ज में डूबे महीनों पहले ही पलायन कर गए

## 4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 4.1 विदेश मंत्रालय की अब तक की सबसे कड़ी सलाह: रूसी सेना में शामिल होने के लिए रूस न जाएँ

## 5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

- 5.1 केंद्र ने 2027-32 के लिए CAFE-III ईंधन मानक अधिसूचित किए, हर इलेक्ट्रिक कार तीन गाड़ियों के बराबर गिनी जाएगी
- 5.2 सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली पर पटाखों का पूर्ण प्रतिबंध ठुकराया, नए हरित पटाखों के सीमित उपयोग का समर्थन किया

## 6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

- 6.1 GPU की क्रियमतेतें दोगुनी होने और वादा की गई क्षमता न मिलने के बाद इंडियाएआई मिशन का पुनर्निर्धारण होगा

## 7. समाज (Society)

- 7.1 कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय: फ़ेसबुक पर जातिसूचक गालियाँ अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत “लोक दृष्टि के भीतर” आती हैं

## 9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

- 9.1 केस 1 — अभियुक्त का कॉलम खाली छोड़ा गया, और फ़ाइल की समीक्षा करने वाला पुलिस अधीक्षक
- 9.2 केस 2 — वह वन अधिकारी, जिससे सड़क के लिए मंजूरी भी दिलानी है और भुगतान भी करना है

## 10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

- 10 19 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

## 11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

- 11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 2.2
- 11.2 GS1 कोना — History: लोक सेवा आयोग के सौ वर्ष: ली आयोग से अनुच्छेद 315 तक
- 11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें (4)
- 11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): हितों का टकराव (Conflict of interest)
- 11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

## 12. आज के निबंध (Essays of the Day)

- 12.1 राज्य उतना ही अच्छा होता है, जितना वह बाबू जो नागरिक के सामने बैठता है।

## यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

पूरी पत्रिका लगभग दो घंटे की है। समय कम हो तो पहले ये पाँच कार्ड पढ़ें।

|            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1</b> | <p><b>सात न्यायाधीश विधायी विशेषाधिकार को वाक्-स्वातंत्र्य की कसौटी पर परखेंगे</b></p> <p><b>क्यों ज़रूरी:</b> GS2, विधायी विशेषाधिकार: अनुच्छेद 105/194 तथा सर्वलाइट बनाम केशव सिंह मामला; सुनवाई 6 अक्टूबर से शुरू होगी।</p>                                |
| <b>2.3</b> | <p><b>हरित ऊर्जा गलियारा-III: लाइनों और बैटरियों के लिए ₹1.86 लाख करोड़</b></p> <p><b>क्यों ज़रूरी:</b> GS3, ऊर्जा अवसंरचना: पारेषण, कटौती (curtailment) और भंडारण अब नवीकरणीय ऊर्जा के नए प्रश्न हैं; VGF प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयुक्त है।</p>           |
| <b>3.1</b> | <p><b>गेहूँ का MSP लगभग स्थिर; तिलहन और दलहन में अधिक वृद्धि</b></p> <p><b>क्यों ज़रूरी:</b> GS3, MSP और बफर स्टॉक: CACP, A2+FL बनाम C2 और रबी फसलें प्रारंभिक परीक्षा के नियमित विषय हैं; फसल विविधीकरण मुख्य परीक्षा के लिए उपयुक्त है।</p>                 |
| <b>4.1</b> | <p><b>रूसी सेना में भर्ती के विरुद्ध MEA की अब तक की सबसे कड़ी एडवाइज़री</b></p> <p><b>क्यों ज़रूरी:</b> GS2, प्रवासी भारतीय और भारत-रूस संबंध: उत्प्रवास अधिनियम में ECR की कमी, अनुच्छेद 23 और कांसुलर संरक्षण 15 अंक के तैयार प्रश्न का आधार बनते हैं।</p> |
| <b>5.1</b> | <p><b>CAFE-III ईंधन मानक हर इलेक्ट्रिक कार को तीन कारों के बराबर गिनेंगे</b></p> <p><b>क्यों ज़रूरी:</b> GS3, प्रदूषण और ऊर्जा: CAFE बनाम BS मानक और BEE प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयुक्त हैं; EV बनाम हाइब्रिड की तुलना मुख्य परीक्षा के लिए।</p>            |

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है: क्या हुआ (समाचार / The News), यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (स्थैतिक संबंध / Static Linkage), परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (ट्रेंड / Trend), वे तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं (प्रारंभिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets), एक बिंदुवार विश्लेषण (Analysis), परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) के साथ, और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को वास्तव में करना पड़ेगा। हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिनका अपना शीर्षक है, ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके। जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ती है, वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु हर कड़ी को समझाएं।

# 1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

आज की दोनों खबरें ऐसी संस्थाओं की हैं जिन्हें संविधान और कानून साधारण जाँच-पड़ताल से बचाते हैं: एक विधायिका, जो आलोचकों को विशेषाधिकार-भंग के नाम पर दंडित कर सकती है; और एक निर्वाचन आयोग, जिसके सदस्यों को 2023 का कानून मुकदमों से सुरक्षा देता है। यह कवच उन्हें निर्भय होकर काम करने देता है। दोनों में कसौटी एक ही है: जब सुरक्षित संस्था किसी नागरिक को चोट पहुँचाए, तो उसे 'नहीं' कहने का अधिकार अंततः किसके पास बचता है?

## 1.1 6 अक्टूबर से सात न्यायाधीशों की पीठ तय करेगी कि क्या विधायी विशेषाधिकार वाक्-स्वातंत्र्य पर भारी पड़ सकता है

**मुद्दा** Legislative privileges and the press (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था • स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी अनुच्छेद 105 और 194 विधायिकाओं को उनके कार्य की रक्षा के लिए विशेषाधिकार देते हैं। इन्हें किसी कानून ने परिभाषित नहीं किया है, इसलिए विशेषाधिकार-भंग क्या है, यह हर सदन स्वयं तय करता है।

**समाचार (THE NEWS)** नई दिल्ली। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ 6 अक्टूबर को वर्ष 2003 से लंबित उस मामले की सुनवाई करने वाली है, जिसमें प्रश्न है कि क्या कोई विधायिका अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके नागरिकों के वाक्-स्वातंत्र्य को दबा सकती है। पत्रकार सीमा चिश्ती और अजीत अंजुम तथा हास्य-कलाकार कुणाल कामरा ने हस्तक्षेप के लिए आवेदन किया है; श्री कामरा के कार्यक्रम “नया भारत” को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की कार्यवाही चल रही है। मामले की शुरुआत तब हुई जब द हिंदू ने, जो स्वयं भी एक पक्षकार है, एक संपादकीय में तत्कालीन तमिलनाडु मुख्यमंत्री जे. जयललिता की आलोचना की। विधानसभा ने इसे अनुच्छेद 194 के अंतर्गत “संपूर्ण सदन के विशेषाधिकार का भंग” ठहराया और संपादकीय कर्मचारियों की गिरफ्तारी का प्रस्ताव पारित किया। न्यायालय ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी, और सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर के अनुसार, पूर्व के निर्णयों में परस्पर विरोध होने के कारण पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने दिसंबर 2003 में यह प्रश्न सात न्यायाधीशों को सौंप दिया। विशेषाधिकार वह विशेष अधिकार है जो सदन को इसलिए प्राप्त है कि वह बिना बाधा के अपना कार्य कर सके।

**एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)**

संविधान विशेषाधिकारों को “जब तक कानून द्वारा परिभाषित न हों” तब तक अपरिभाषित छोड़ता है → कोई विधायिका ऐसा कानून नहीं बनाती → क्या अवमानना है, यह हर सदन स्वयं तय करता है → 2003 के एक संपादकीय को विशेषाधिकार-भंग माना जाता है और गिरफ्तारी का आदेश होता है → न्यायालय को तय करना है कि विशेषाधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के आगे झुकेंगे या नहीं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध  
(STATIC SYLLABUS  
LINKAGE)

1. अनुच्छेद 105(3) और 194(3) ऐसे विशेषाधिकारों पर टिके हैं जो कभी लिखे ही नहीं गए — अनुच्छेद 105 और 194 संसदों और विधायकों को सदन में वाक्-स्वातंत्र्य तथा वहाँ कहीं गई बात या दिए गए मत के लिए न्यायालयी कार्यवाही से उन्मुक्ति देते हैं। अन्य सभी विशेषाधिकार वही हैं जिन्हें विधायिका कानून द्वारा परिभाषित करे और जब तक ऐसा न हो, वे जो 44वें संविधान संशोधन, 1978 से ठीक पहले सदन को प्राप्त थे; मूल पाठ में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का उल्लेख था।
2. दो पुराने निर्णय विपरीत दिशाओं में खींचते हैं — एम.एस.एम. शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा (1958, “सर्चलाइट” मामले) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) को अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत आने वाले विशेषाधिकारों के आगे झुकना होगा। विशेष संदर्भ संख्या 1, 1964 (केशव सिंह) में उसने कहा कि न्यायालय यह जाँच सकते हैं कि दावा किया गया विशेषाधिकार अस्तित्व में है या नहीं, और अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 194(3) पर प्रभावी रहेगा।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS2 में “संसद और राज्य विधानमंडल — ... शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार” का स्पष्ट उल्लेख है — 2024 में सीता सोरेन बनाम भारत संघ में सात न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि रिश्ततखोरी विशेषाधिकार से संरक्षित नहीं है; अतः न्यायालय हाल में विशेषाधिकारों का दायरा सीमित करता आ रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य  
(PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 105 संसद के विशेषाधिकारों से संबंधित है; अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकारों से।
- अनुच्छेद 105(3) और 194(3) के अंतर्गत अपरिभाषित विशेषाधिकार वे हैं जो 44वें संविधान संशोधन, 1978 से ठीक पहले विद्यमान थे; मूल पाठ में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का उल्लेख था।
- अनुच्छेद 212 न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की प्रक्रियागत अनियमितता पर प्रश्न उठाने से रोकता है; संसद के लिए यही काम अनुच्छेद 122 करता है।
- सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2024) में सात न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि जो विधायक मत देने या बोलने के लिए रिश्तत लेता है, वह विशेषाधिकार से संरक्षित नहीं है।

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>विश्लेषण (ANALYSIS)</b>                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>लेंस — स्वतंत्रता और व्यवस्था : विशेषाधिकार सदन के कार्य की ढाल है, आलोचकों पर चलाने की तलवार नहीं</b> — विशेषाधिकार इसलिए हैं कि सदस्य मुक्त होकर बोल सकें और सदन के कार्य में बाधा न पड़े। सदन के बाहर लिखा गया संपादकीय किसी कार्य में बाधा नहीं डालता; वह केवल चुभता है। आलोचना को अवमानना मान लेने पर सदन एक ही समय में अभियोक्ता और न्यायाधीश बन जाता है। एक विवेकशील अधिकारी का निष्कर्ष यही होगा कि सदन वास्तविक बाधा को दंडित कर सकता है, पर विशेषाधिकार-भंग का संबंध सदन के कामकाज से होना चाहिए, उसकी भावनाओं से नहीं।</li> <li><b>कानून का अभाव एक चुनाव है, जो विधायिकाओं के अनुकूल बैठता है</b> — विशेषाधिकारों की सूची बनाने वाला कानून मूल अधिकारों की कसौटी पर परखा जा सकता है, इसीलिए सदन उससे बचते रहे हैं: अपरिभाषित शक्ति बड़ी शक्ति होती है। इसके विरुद्ध मत यह है कि तब न्यायालय हर अनुशासनात्मक कार्रवाई की समीक्षा करने लगेंगे। अवमानना को केवल बाधा तक सीमित करने वाला एक संक्षिप्त कानून दोनों आशंकाओं का उत्तर देता है।</li> <li><b>कामरा की याचिका दिखाती है कि यह मुद्दा जीवंत है, ऐतिहासिक नहीं</b> — 2003 में जो हथियार एक अखबार के विरुद्ध चला था, वह अब एक हास्य-कलाकार के विरुद्ध चल रहा है। जब प्रक्रिया स्वयं ही दंड बन जाए, तो आलोचक आत्म-संरक्षण अपना लेते हैं।</li> </ol> |
| <b>संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)</b>                                 | <p>“विधायी विशेषाधिकार को सदन के कामकाज की रक्षा करनी चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा की नहीं।” अनुच्छेद 194(3) और 19(1)(a) के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए</b> — विशेषाधिकारों की आवश्यकता को वाक्-स्वातंत्र्य के जोखिम के सामने तौलिए, फिर अपना निष्कर्ष दीजिए।</li> <li><b>भूमिका — विशेषाधिकार इसलिए हैं कि सदन बिना बाधा के कार्य कर सके</b> — अनुच्छेद 105 और 194 तथा सात न्यायाधीशों के समक्ष विचाराधीन 2003 के मामले का उल्लेख कीजिए।</li> <li><b>मुक्त बहस के लिए विशेषाधिकार आवश्यक हैं</b> — भाषण और मत के लिए उन्मुक्ति तथा वास्तविक बाधा को दंडित करने की शक्ति।</li> <li><b>अपरिभाषित विशेषाधिकार सदन को अपने ही आलोचकों का न्यायाधीश बना देता है</b> — मृत्युवर्धन: सर्चलाइट (1958) बनाम केशव सिंह (1964); सीता सोरेन (2024) द्वारा विशेषाधिकार का दायरा सीमित किया जाना।</li> <li><b>कार्यात्मक आवश्यकता तक सीमित संहिताकरण ही संतुलन है</b> — फ्लोचार्ट: आलोचना → क्या वह सदन के कार्य में बाधा डालती है? → हाँ: विशेषाधिकार; नहीं: अनुच्छेद 19(2) और सामान्य कानून।</li> <li><b>निष्कर्ष — कानून द्वारा परिभाषित कीजिए, अवमानना को बाधा से जोड़िए</b> — एक संक्षिप्त कानून उस टकराव को समाप्त कर देगा जिसे सुलझाने के लिए न्यायालय से कहा गया है।</li> </ol>                                                                                                                                                             |
| <b>प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q &amp; APPROACH)</b> | <p><b>प्रश्न 1. राज्य विधानसभा के सचिव के रूप में अध्यक्ष आपसे एक आलोचनात्मक लेख के लिए पत्रकार के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव का मसौदा बनाने को कहते हैं। आप क्या सलाह देंगे?</b></p> <p><b>दृष्टिकोण (Approach):</b> मैं पहले यह पूछूँगा कि क्या लेख सदन के कार्य में बाधा डालता है, जैसे कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग, या केवल उसकी आलोचना करता है। यदि वह आलोचना मात्र है, तो जब सात न्यायाधीश यही प्रश्न तय कर रहे हैं, तब विशेषाधिकार का मार्ग कमज़ोर और जोखिम भरा है। यदि फिर भी भंग का मामला आगे बढ़ाया जाए, तो पत्रकार को नोटिस और सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए तथा गिरफ्तारी से बचा जाना चाहिए।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2. अर्थव्यवस्था (Economy)

आज की तीनों खबरें सुर्खी और ज़मीनी हकीकत के बीच की खाई की कहानी कहती हैं। कारखानों में उत्पादन, कामगार और पूँजी तीनों बढ़ रहे हैं, पर जिस मूल्य के सृजन में कामगार का हाथ है, उसकी तुलना में उसकी तनखाह आधी रफ़्तार से बढ़ती है। श्रम संहिताएँ केंद्र में कानून बन चुकी हैं, फिर भी अधिकांश औद्योगिक राज्यों ने वे नियम नहीं बनाए जो तय करते हैं कि कामगार को वास्तव में क्या मिलेगा। और भारत सौर संयंत्र जितनी तेज़ी से लगा सकता है, उनकी बिजली उतनी तेज़ी से पहुँचा नहीं सकता; इसीलिए मंत्रिमंडल अब पैनलों पर नहीं, तारों और बैटरियों पर खर्च कर रहा है।

### 2.1 उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2024-25: कारखाने मूल्य और कामगार जोड़ रहे हैं, पर मज़दूरी पिछड़ रही है

**मुद्रा** Factories, jobs and formal manufacturing (नया मुद्रा) **दृष्टि (Lens)** विकास और समता • बाज़ार और राज्य

अब तक की कहानी 'मेक इन इंडिया' और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के बावजूद विनिर्माण सकल मूल्य वर्धन (GVA) के लगभग 15% पर अटका है; सवाल यह है कि क्या औपचारिक कारखाने खेती छोड़ने वाले श्रमिकों को उचित मज़दूरी पर खपा सकते हैं।

**समाचार (THE NEWS)** नई दिल्ली। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने बुधवार, 30 सितंबर को उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries, ASI) 2024-25 जारी किया। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, पंजीकृत कारखानों का सकल मूल्य वर्धन (GVA, यानी उत्पादन के मूल्य में से खपे हुए आदानों का मूल्य घटाने पर बचने वाली राशि) 9.6% बढ़कर ₹26.9 लाख करोड़ हो गया और उत्पादन 7.8% बढ़कर ₹165.2 लाख करोड़ रहा। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कारखानों की संख्या 2.6% बढ़कर लगभग 2.7 लाख हो गई; एक दशक से अधिक समय में यह पहली बार है जब लगातार दो वर्षों तक संख्या 2% से ज़्यादा बढ़ी है। दोनों अख़बार रोज़गार की गिनती अलग-अलग ढंग से करते हैं: ET "नियोजित व्यक्तियों" को गिनता है, जिनमें पर्यवेक्षक और प्रबंधक भी शामिल हैं, और यह संख्या 2.1 करोड़ (7.2% की वृद्धि) बताता है; IE केवल कामगारों को गिनता है, जो 1.67 करोड़ (7.3% की वृद्धि) हैं। प्रति कामगार औसत मज़दूरी केवल 5.3% बढ़कर ₹2.28 लाख हुई। उत्तर प्रदेश में कारखानों की संख्या 12.8% बढ़ी, जो किसी भी राज्य में सबसे तेज़ वृद्धि है।

**एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)**

औपचारिक विनिर्माण GVA के लगभग 15% पर अटका → PLI योजनाएँ और घटा हुआ कॉर्पोरेट कर नया निवेश खींचते हैं → कारखानों की संख्या लगातार दो वर्ष 2% से अधिक बढ़ती है → उत्पादन, पूँजी और रोज़गार सब बढ़ते हैं → पर प्रति कामगार मज़दूरी मूल्य वर्धन से पीछे रह जाती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध  
(STATIC SYLLABUS  
LINKAGE)

1. ASI केवल पंजीकृत कारखानों को गिनता है, जो विनिर्माण का औपचारिक केंद्र हैं — ASI का संचालन सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (Collection of Statistics Act, 2008) के अंतर्गत सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) करता है, जिसके कारण विवरणी दाखिल करना अनिवार्य है। इसका दायरा कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948) की धारा 2(m)(i) और 2(m)(ii) के अंतर्गत पंजीकृत कारखाने हैं: बिजली से चलने वाली वे इकाइयाँ जिनमें 10 या अधिक कामगार हों, या बिना बिजली की इकाइयाँ जिनमें 20 या अधिक कामगार हों। विनिर्माण के GDP अनुमान इसी से तैयार होते हैं।
2. छोटी अपंजीकृत इकाइयों को ASUSE अलग से मापता है — अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises, ASUSE) भी NSO ही करता है और इसमें छोटे अपंजीकृत गैर-कृषि उद्यम आते हैं, जहाँ विनिर्माण के अधिकांश कामगार काम करते हैं। इसलिए ASI के रुझान केवल औपचारिक रोज़गार की तस्वीर देते हैं। श्रम का हिस्सा (labour share) का अर्थ है मूल्य वर्धन का वह भाग जो मज़दूरी के रूप में बँटता है; पूँजी-गहनता (capital intensity) का अर्थ है प्रति कामगार लगी पूँजी।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS3 में पूछा जाता है कि क्या औद्योगिक वृद्धि रोज़गार पैदा करती है — पाठ्यक्रम की पंक्तियाँ "औद्योगिक विकास पर प्रभाव" तथा "वृद्धि, विकास और रोज़गार" रोज़गार-विहीन वृद्धि को मुख्य परीक्षा का बार-बार आने वाला विषय बना देती हैं; ASI उसका आधिकारिक प्रमाण है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य  
(PRELIMS NUGGETS)

- उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है।
- ASI का दायरा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(m)(i) और 2(m)(ii) के कारखाने हैं: बिजली के साथ 10 या अधिक कामगार, अथवा बिना बिजली के 20 या अधिक कामगार।
- अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों को NSO का एक अलग सर्वेक्षण, अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE), कवर करता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. पूँजी श्रम से तेज़ बढ़ रही है, इसलिए हर नए रोज़गार पर अधिक पूँजी लगती है — निवेशित पूँजी 11.1% बढ़कर ₹75.6 लाख करोड़ हो गई, जबकि नियोजित व्यक्ति 7.2% बढ़े। यही पूँजी-

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <p>गहनता (capital deepening) है: कारखाने भर्ती की तुलना में मशीनें तेज़ी से खरीद रहे हैं। इससे उत्पादकता बढ़ती है, पर हर औपचारिक रोज़गार के लिए अधिक निवेश चाहिए। फिर भी एक वर्ष में 14 लाख रोज़गार जुड़ना औपचारिक क्षेत्र के लिए सशक्त बात है: यह पूँजी-प्रधान वृद्धि है, रोज़गार-विहीन वृद्धि नहीं।</p> <p><b>2. दृष्टि — वृद्धि और समता: मूल्य बढ़ रहा है, पर उसमें कामगार का हिस्सा उतनी तेज़ी से नहीं —</b> GVA 9.6% बढ़ा, पर प्रति कामगार मज़दूरी नाममात्र में केवल 5.3%। कुल पारिश्रमिक 12.1% बढ़कर ₹8 लाख करोड़ हुआ, जिससे संकेत मिलता है कि कारखाने के फ़र्श पर काम करने वाले कामगारों की तुलना में पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों को अधिक लाभ हुआ। श्रम के हिस्से का गिरना मुनाफ़े और निवेश को तो पोषित करता है, पर व्यापक माँग को नहीं। विवेकशील अधिकारी मुनाफ़े पर सीमा नहीं लगाएगा; वह कौशल विकास और मज़दूरी के प्रवर्तन पर ज़ोर देगा ताकि उत्पादकता का लाभ कामगारों तक पहुँचे।</p> <p><b>3. कारखाने धीरे-धीरे सस्ते श्रम और सस्ती ज़मीन की ओर खिसक रहे हैं —</b> कारखानों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगभग पूरे एक प्रतिशत अंक बढ़ा, जबकि गुजरात का हिस्सा 0.4 अंक घटा, हालाँकि पाँच राज्यों के पास अब भी GVA के आधे से अधिक का हिस्सा है। कंपनियाँ सस्ती मज़दूरी, ज़मीन और विशाल श्रम-बल के पीछे जाती हैं; बाज़ार इसी तरह उद्योग को फैलाते हैं। पर कोई पिछड़ा राज्य इस बदलाव को पकड़ पाएगा या नहीं, यह बिजली, सड़कों और भू-अभिलेखों पर निर्भर करता है।</p> |
| संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)                             | <p>“भारत का औपचारिक विनिर्माण रोज़गार तो जोड़ रहा है, पर कामगार उस मूल्य में बराबर के हिस्सेदार नहीं हैं जिसका सृजन वे करते हैं।” उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2024-25 के आलोक में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)   | <p><b>1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए —</b> कथन के दोनों भागों को आँकड़ों से परखिए और एक निष्कर्ष पर पहुँचिए।</p> <p><b>2. भूमिका — ASI 2024-25 औपचारिक क्षेत्र की सशक्त वृद्धि दिखाता है —</b> GVA में 9.6% और कारखानों की संख्या में 2.6% की वृद्धि का उल्लेख कीजिए, जो लगातार दूसरा वर्ष है जब यह 2% से ऊपर रही।</p> <p><b>3. रोज़गार वास्तविक हैं, पर पूँजी-प्रधान —</b> नियोजित व्यक्ति 7.2% और पूँजी 11.1% बढ़ी; मूल्य संवर्धन: अनौपचारिक क्षेत्र की ASUSE वाली तस्वीर से तुलना कीजिए।</p> <p><b>4. कामगार का हिस्सा पिछड़ रहा है —</b> प्रति कामगार मज़दूरी 5.3% बढ़ी, जबकि GVA 9.6%; GVA, पूँजी, पारिश्रमिक और प्रति कामगार मज़दूरी की वृद्धि को साथ-साथ दिखाने वाला एक दंड आरेख बनाइए।</p> <p><b>5. उद्योग धीरे-धीरे फैल रहे हैं —</b> उत्तर प्रदेश ऊपर चढ़ रहा है, गुजरात थोड़ा नीचे; फिर भी पाँच राज्यों के पास GVA के आधे से अधिक का हिस्सा है।</p> <p><b>6. निष्कर्ष — निवेश को कौशल और मज़दूरी के प्रवर्तन से जोड़ना —</b> श्रम-प्रधान क्षेत्र और मज़दूरी संबंधी कानून उत्पादन को साझा समृद्धि में बदलते हैं।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH) | <p><b>प्रश्न 1.</b> आप उत्तर प्रदेश के तेज़ी से औद्योगीकृत हो रहे एक ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेट हैं। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि नए कारखाने सम्मानजनक रोज़गार दें?</p> <p><b>दृष्टिकोण (Approach):</b> श्रम विभाग के साथ मिलकर मैं जाँच करवाऊँगा कि नई इकाइयों के कामगार भविष्य निधि और बीमा के साथ रजिस्टर में दर्ज हैं और अपंजीकृत ठेकेदारों के ज़रिये नहीं रखे गए हैं। ज़िले के कौशल केंद्र को उन कौशलों से जोड़ूँगा जिनकी इन इकाइयों में कमी है, और उनकी बिजली तथा मंजूरी की अडचनें मासिक एकल-खिड़की समीक्षा में दूर करूँगा। मेरा पैमाना हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन नहीं, बल्कि पंजीकृत कामगार और दी गई मज़दूरी होगी।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 2.2 श्रम संहिताएँ लागू हुए दस महीने बीते, केवल 10 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने नियम अधिसूचित किए

**मुद्दा** Labour Codes and the States (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य • विकास और समता

अब तक की कहानी 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेटने वाली चारों श्रम संहिताएँ 21 नवंबर 2025 से लागू हुईं; तब से केंद्र उन्हें समझाने के लिए ‘श्रम संवाद’ अभियान चला रहा है।

**समाचार (THE NEWS)** नई दिल्ली। द इकोनॉमिक टाइम्स ने सरकारी आँकड़ों के हवाले से बताया है कि चारों श्रम संहिताएँ लागू हुए 10 महीने से अधिक हो चुके हैं, फिर भी केवल 10 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने उनमें से कम-से-कम एक के अंतर्गत नियम अधिसूचित किए हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता (OSH Code), 2020 के नियम 10 ने अंतिम रूप दिए हैं; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और वेतन संहिता, 2019 के नौ-नौ ने; तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के आठ ने। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मिज़ोरम शामिल हैं। प्रमुख औद्योगिक राज्यों — कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा और

पंजाब — ने अपने नियम अंतिम रूप नहीं दिए हैं। नियोक्ता परस्पर टकराते नियमों से जूझ रहे हैं: संहिताएँ कामगारों को 30 दिन की छुट्टी आगे ले जाने देती हैं, जबकि महाराष्ट्र का दुकान एवं स्थापना अधिनियम 45 दिन की अनुमति देता है; OSH संहिता का एकल-खिड़की इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण हरियाणा के दुकान अधिनियम, 1958 के साथ-साथ चलता है, जो अब भी अलग पंजीकरण मांगता है। केंद्रीय श्रम सचिव ने राज्यों से बैठक कर उन पर दबाव बनाया है।

### एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

29 केंद्रीय श्रम कानून जटिल बताए गए → 2019-20 में चार संहिताओं में समेकित → केंद्र ने 21 नवंबर 2025 को उन्हें लागू किया → प्रत्येक “समुचित सरकार” को अपने नियम अधिसूचित करने हैं → अधिकांश बड़े औद्योगिक राज्य देर कर रहे हैं, जिससे नियोक्ता दो तरह के नियमों में फँसे हैं

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)</b></p>               | <p>1. श्रम समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र कानून बनाता है पर राज्य उसे पूरा करते हैं — सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टियाँ 22 (श्रमिक संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद), 23 (सामाजिक सुरक्षा, रोज़गार) और 24 (श्रमिकों का कल्याण, कार्य की दशाएँ, भविष्य निधि, मातृत्व लाभ) श्रम को समेटती हैं। अनुच्छेद 254 के अंतर्गत केंद्रीय कानून किसी विरोधी राज्य कानून पर प्रभावी रहता है, जब तक कि उस राज्य कानून को राष्ट्रपति की सहमति न मिल गई हो।</p> <p>2. चारों संहिताएँ निर्णायक ब्योरा “समुचित सरकार” पर छोड़ देती हैं — वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019), औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) और OSH संहिता, 2020 ने 29 केंद्रीय कानूनों का स्थान लिया। अधिकांश प्रतिष्ठानों के लिए राज्य ही “समुचित सरकार” है, इसलिए प्रपत्र, पंजीकरण, निरीक्षण और अनेक सीमाएँ उसी के नियमों से तय होती हैं।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)</b></p> | <p>1. श्रम सुधार में GS2 और GS3 मिलते हैं — पाठ्यक्रम की पंक्तियाँ “संघीय ढाँचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ” तथा “वृद्धि, विकास और रोज़गार” मिलकर श्रम सुधार को केवल कानून-निर्माण की नहीं, बल्कि क्रियान्वयन में सहकारी संघवाद की भी परीक्षा बना देती हैं।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)</b></p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● समवर्ती सूची में श्रमिक संघ और औद्योगिक विवाद प्रविष्टि 22 हैं, तथा कार्य की दशाओं सहित श्रमिकों का कल्याण प्रविष्टि 24 है।</li> <li>● चारों श्रम संहिताएँ हैं: वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; और OSH संहिता, 2020।</li> <li>● अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत समवर्ती विषय पर बना कोई राज्य कानून, जो केंद्रीय कानून से टकराता हो, उस राज्य में प्रभावी रहता है यदि उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल गई हो।</li> <li>● सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों को ऐसी श्रेणियों के रूप में मान्यता देती है जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पात्र हैं।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>विश्लेषण (ANALYSIS)</b></p>                                             | <p>1. दृष्टि — केंद्र और राज्य: राज्यों के नियम बनाए बिना समवर्ती कानून आधा ही बनता है — संसद संहिताएँ पारित कर सकती थी, पर कार्य-घंटे, पंजीकरण और निरीक्षण राज्यों के नियमों के ज़रिये ही किसी कारख़ाने तक पहुँचते हैं। देरी हमेशा अड़गेबाज़ी नहीं होती: नियमों में ही राज्य अपने उद्योग और श्रमिक संघों के लिए मायने रखने वाली सीमाओं पर मोल-भाव करते हैं। निष्कर्ष यह है कि केंद्र को आदर्श नियमों और समय-सीमाओं से राज़ी करना चाहिए, हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस संहिता से राज्य नाराज़ हों, उसे वे आधे-अधूरे मन से लागू करेंगे।</p> <p>2. देरी से सबसे ज़्यादा नुक़सान कामगारों का है, नियोक्ताओं का नहीं — कंपनियाँ अनुपालन की लागत की शिकायत करती हैं, पर वे पुराने नियमों के साथ चल सकती हैं। किसी गिग कामगार का सामाजिक सुरक्षा का नया हक़, या समान न्यूनतम वेतन, तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक नियम और पोर्टल मौजूद न हों, और सामाजिक सुरक्षा के नियम केवल आठ राज्यों ने अधिसूचित किए हैं।</p> <p>3. अलग-अलग नियम उसी भूलभुलैया को फिर खड़ा कर सकते हैं जिसे संहिताएँ मिटाने आई थीं — समेकन का लक्ष्य एक सरल राष्ट्रीय व्यवस्था थी। यदि हर राज्य अपने शिफ़्ट-घंटे, अतिरिक्त समय की सीमाएँ और स्थायी आदेशों की सीमाएँ अलग तय करे, तो पाँच राज्यों में संयंत्र वाली कंपनी को फिर पाँच व्यवस्थाओं से निपटना पड़ेगा। प्रतिपक्ष का तर्क है कि विविधता से राज्य निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं और नए प्रयोग आजमा सकते हैं। संतुलन यह है: संरक्षण का एक सोझा न्यूनतम स्तर, और प्रक्रिया में बदलाव की स्वतंत्रता राज्यों के पास।</p> |
| <p><b>संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)</b></p>          | <p>“भारत में श्रम सुधार का फ़ैसला संसद में कम, राज्यों के नियम-निर्माण में अधिक होता है।” टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

1. निर्देश — टिप्पणी कीजिए — प्रमाण सहित, एक ही आयाम — संघीय क्रियान्वयन — में कथन पर तर्कसंगत मत दीजिए।
2. भूमिका — चार संहिताएँ, 29 कानून, 21 नवंबर 2025 से लागू — समेकन पर लगभग 20 शब्द।
3. मुख्य भाग — केवल 10 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने नियम अधिसूचित किए हैं — मूल्य संवर्धन: OSH 10, वेतन और औद्योगिक संबंध 9-9, सामाजिक सुरक्षा 8 (ET के आँकड़े); बड़े औद्योगिक राज्य अनुपस्थित।
4. मुख्य भाग — पंजीकरण, छुट्टी और सीमाएँ राज्यों के नियम तय करते हैं — महाराष्ट्र और हरियाणा के उदाहरण दीजिए; प्रवाह-आरेख बनाइए: संहिता → समुचित सरकार → नियम → कामगार।
5. निष्कर्ष — सहकारी संघवाद के माध्यम से आदर्श नियम और समय-सीमाएँ — समवर्ती सूची की स्वायत्तता को दबाए बिना नियमों में सामंजस्य लाइए।

### प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. किसी बड़े औद्योगिक राज्य के श्रम सचिव के रूप में, जिसने अभी तक नियम अधिसूचित नहीं किए हैं, आप कैसे आगे बढ़ेंगे?

**दृष्टिकोण (Approach):** मैं प्रत्येक संहिता के मसौदा नियम निश्चित टिप्पणी अवधि के साथ प्रकाशित करूँगा, ताकि श्रमिक संघ और नियोक्ता अफवाहों पर नहीं, पाठ पर बहस करें। जहाँ राज्य सचमुच अलग है, जैसे छुट्टी या सीमाओं के प्रश्न पर, वहाँ पूरे समूह को टालने के बजाय मैं उस अंतर को स्पष्ट करूँगा और उसका बचाव करूँगा। मैं सामाजिक सुरक्षा के नियमों को प्राथमिकता दूँगा, क्योंकि वे उन कामगारों के लिए हक बनाते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। देरी किसी की रक्षा नहीं करती।

## 2.3 मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III को मंजूरी दी: बैटरियों सहित 135 GW के लिए ₹1.86 लाख करोड़

**मुद्दा** सौर ऊर्जा का विस्तार (कडी 4) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण • केंद्र और राज्य

अब तक की कहानी दिल्ली ने छत पर सौर ऊर्जा की सहायता दोगुनी की, नहरों के ऊपर सौर संयंत्र बिना नई भूमि के 131 GW जोड़ सकते हैं, और मोरबी के किसानों ने ट्रांसमिशन टावरों के मुआवजे को ठुकरा दिया, जिससे 500 GW की बहस में भूमि और ग्रिड का प्रश्न जुड़ गया।

**समाचार (THE NEWS)** नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार, 30 सितंबर को हरित ऊर्जा गलियारे (Green Energy Corridor) के तीसरे चरण (GEC-III) को ₹1,86,405 करोड़ के परियोजना परियोजना के साथ मंजूरी दी, ताकि राज्य 2032-33 तक अपने ग्रिडों में 135 GW तक नवीकरणीय बिजली पहुँचा सके। इसमें से ₹1,36,378 करोड़ राज्य के भीतर की पारेषण लाइनों के लिए और ₹50,000 करोड़ 50 GWh की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) के लिए है — यह कार्यक्रम का पहला भंडारण घटक है। केंद्रीय वित्तीय सहायता ₹54,082 करोड़ है, जिसके बारे में सरकार का कहना है कि वह राज्य के भीतर के पारेषण शुल्कों की भरपाई करेगी; द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इसमें से ₹6,000 करोड़ बैटरियों के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (viability gap funding, यानी एकमुश्त पूँजीगत अनुदान जो किसी परियोजना को बैंक-योग्य बनाता है) के रूप में है। योजना का लक्ष्य कटौती (curtailment) है, यानी वह स्थिति जब ग्रिड संचालक सौर या पवन संयंत्रों से उत्पादन घटवाते हैं क्योंकि लाइनें बिजली ढो नहीं पातीं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लाइनें शुल्क-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से दी जाएँगी।

**एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)**

भारत सौर और पवन ऊर्जा पारेषण से तेज़ी से जोड़ रहा है → नवीकरणीय-समृद्ध राज्यों में लाइनों पर भीड़ बढ़ती है → ग्रिड संचालक स्वच्छ बिजली में कटौती करते हैं, खासकर दोपहर में → केंद्र GEC-I और II में राज्य के भीतर की लाइनों को धन देता है → GEC-III 135 GW की निकासी और पहली बार बैटरी भंडारण जोड़ता है

### स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर का पारेषण अलग-अलग नियोजित और विनियमित होते हैं — विद्युत अधिनियम, 2003 (Electricity Act, 2003) के अंतर्गत केंद्रीय पारेषण उपयोगिता अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) की योजना बनाती है, जिसे केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग विनियमित करता है; प्रत्येक राज्य पारेषण उपयोगिता अपने राज्य आयोग के अंतर्गत राज्य के भीतर की लाइनें संभालती है। धारा 63 प्रतिस्पर्धी बोली से खोजे गए शुल्कों की अनुमति देती है। जनवरी 2022 में स्वीकृत GEC-II ने 33% केंद्रीय सहायता के साथ लगभग 20 GW के लिए राज्य के भीतर की लाइनों को धन दिया था।
2. भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य केवल उत्पादन के नहीं, क्षमता के भी हैं — ग्लासगो में COP26 (2021) में भारत ने 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता की घोषणा की। अगस्त 2022 का उसका अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से लेने और 2005 के स्तर से GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी का वचन देता है।

### यूपीएससी को यह विषय क्यों

1. GS3 अवसंरचना को ऊर्जा परिवर्तन से जोड़ता है — “अवसंरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें”

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)</b></p>                                            | <p>तथा “संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण” ग्रीड एकीकरण में मिलते हैं; नवीकरणीय ऊर्जा के प्रश्न अब केवल लक्ष्यों पर नहीं, बल्कि भंडारण, पारेषण और अनियमित आपूर्ति पर टिके होते हैं।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)</b></p>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत केंद्रीय पारेषण उपयोगिता अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाती है, जबकि प्रत्येक राज्य पारेषण उपयोगिता राज्य के भीतर का पारेषण संभालती है।</li> <li>● विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 किसी विनियामक को पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली से खोजा गया शुल्क अपनाने देती है।</li> <li>● कटौती (curtailment) किसी उत्पादक, प्रायः सौर या पवन, के उत्पादन में की गई वह बलपूर्वक कमी है जो इसलिए करनी पड़ती है कि ग्रीड उसे सोख या दो नहीं सकता।</li> <li>● व्यवहार्यता अंतर निधि (viability gap funding) एकमुश्त पूंजीगत अनुदान है जो परियोजना की लागत और उसकी आय से संभल सकने वाली राशि के अंतर को पाटता है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>विश्लेषण (ANALYSIS)</b></p>                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>दृष्टि — विकास और पर्यावरण: अब पैनल नहीं, तार बाधक कारक हैं</b> — जो सौर संयंत्र अपनी बिजली बाहर नहीं भेज पाता, वह धन भी बरबाद करता है और उन उत्सर्जनों से बचाव भी, जिनके लिए वह बना था। GEC-III अपने परिव्यय का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा लाइनों पर खर्च करता है, जो इस बात की स्वीकृति है कि उत्पादन पारेषण से आगे निकल गया है। पर्यावरणीय क्रीमत भी वास्तविक है: लाइनों को भूमि और वन गलियारे चाहिए, जैसा मोरबी के टावर विवाद ने दिखाया। समझदार अधिकारी स्वच्छ बिजली की क्रीमत के रूप में लाइनों को स्वीकार करता है, पर उचित मुआवज़े और नाज़ुक वनों को बचाने वाले मार्गों का आग्रह रखता है।</li> <li>2. <b>बैटरियाँ सौर ऊर्जा की क्षमता बदल देती हैं, पर 50 GWh केवल शुरुआत है</b> — सौर ऊर्जा दोपहर में चरम पर होती है, जबकि माँग सूर्यास्त के बाद चरम पर पहुँचती है; बैटरी दोपहर की बिजली को शाम के लिए सहेजती है। 50 GWh के लिए ₹50,000 करोड़ पर योजना लगभग ₹1 करोड़ प्रति MWh भंडारण की लागत मानकर चलती है। 135 GW की नई निकासी की तुलना में यह कुछ क्षमता के लिए शाम के चंद घंटों को ही ढकता है; पंप-भंडारण जलविद्युत और अधिक बैटरियों की ज़रूरत फिर भी बनी रहेगी।</li> <li>3. <b>केंद्र राज्यों की लाइनों का खर्च इसलिए उठा रहा है कि लाभ राज्यों की सीमाओं के पार जाता है</b> — राजस्थान या गुजरात जैसे नवीकरणीय-समृद्ध राज्य उस बिजली के लिए लाइनें बनाते हैं जिसे दूसरे उपभोग करते हैं, और वे यह लागत अपने ही उपभोक्ताओं पर डालते। राज्य के भीतर के शुल्कों की भरपाई करने वाली केंद्रीय सहायता इस बोझ को राष्ट्रीय स्तर पर बाँट देती है। जोखिम यह है कि राज्य इस अनुदान को अपनी खुद की योजना का विकल्प समझ बैठें।</li> </ol> |
| <p><b>संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)</b></p>                           | <p>“भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन में अब उत्पादन नहीं, पारेषण बाधक कारक है।” हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>निर्देश — परीक्षण कीजिए</b> — प्रमाणों के साथ कथन की जाँच कीजिए और दिखाइए कि वह कहाँ तक सही है।</li> <li>2. <b>भूमिका — GEC-III: 2032-33 तक ₹1.86 लाख करोड़, 135 GW, 50 GWh — 500 GW के लक्ष्य से जोड़िए।</b></li> <li>3. <b>कटौती दिखाती है कि लाइनें क्षमता से पीछे हैं</b> — मूल्य संवर्धन: राज्य के भीतर की लाइनों के लिए ₹1,36,378 करोड़, जबकि GEC-I में लगभग ₹10,141 करोड़ थे।</li> <li>4. <b>भंडारण समय की समस्या सुलझाता है, जो लाइनें नहीं सुलझा सकतीं</b> — 24 घंटे का वक्र बनाइए: सौर ऊर्जा दोपहर में चरम पर, माँग सूर्यास्त के बाद चरम पर, और बैटरी उस अंतर को पाटती हुई।</li> <li>5. <b>संघीय लागत-साझेदारी लाइनों को संभव बनाती है</b> — केंद्रीय सहायता राज्यों के पारेषण शुल्कों की भरपाई करती है।</li> <li>6. <b>निष्कर्ष — उत्पादन, लाइनों और भंडारण की योजना एक साथ बनाइए</b> — भूमि और वन संबंधी सुरक्षा उपायों के साथ एकीकृत नियोजन।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q &amp;</b></p>     | <p><b>प्रश्न 1.</b> आप सौर-समृद्ध ज़िले के ज़िला कलेक्टर हैं और किसान GEC-III की पारेषण लाइन के लिए भूमि देने का विरोध कर रहे हैं। आप क्या करेंगे?</p> <p><b>दृष्टिकोण (Approach):</b> मैं मार्ग, टावर के आधार और मार्गाधिकार के मुआवज़े, तथा लाइन के उद्देश्य पर खुली बैठक करूँगा। मैं सुनिश्चित करूँगा कि मुआवज़ा वर्तमान दिशानिर्देशों के</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**APPROACH)**

अनुसार हो और काम शुरू होने से पहले चुका दिया जाए। जहाँ कोई मार्ग बागों या घरों से होकर गुज़रता हो, वहाँ मैं डेवलपर से मार्ग बदलने पर विचार करने को कहूँगा। सहमति से बनी लाइन मुकदमेबाज़ी के बीच बनी लाइन से जल्दी पूरी होती है।

### 3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

दोनों खबरें असंतुलित कृषि अर्थव्यवस्था पर राज्य की कार्यवाही की हैं। केंद्र समर्थन मूल्य के सहारे किसानों को उस फसल से हटाना चाहता है जो उसके पास पहले से ज़रूरत से ज्यादा है; महाराष्ट्र सूखे को थामने के लिए अपने हाथ के हर साधन का इस्तेमाल कर रहा है। पर न कीमत काम करती है, न राहत, जब तक उसके पीछे संस्था खड़ी न हो: पहले मामले में खरीद, दूसरे में काम और ऋण।

#### 3.1 मंत्रिमंडल ने गेहूँ का MSP लगभग स्थिर रखते हुए ₹2,610 किया, रबी की बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा तिलहन और दलहन को दिया

**मुद्रा** MSP and farm prices (नया मुद्रा) **दृष्टि (Lens)** बाज़ार और राज्य • विकास और समता

अब तक की कहानी न्यूनतम समर्थन मूल्य हर बुवाई मौसम से पहले 22 अधिदेशित फसलों के लिए घोषित होता है। 2018-19 के बजट से इसे लागत के कम से कम डेढ़ गुना पर रखा गया है, जबकि गेहूँ और चावल के भंडार बढ़ते जा रहे हैं।

**समाचार (THE NEWS)** नई दिल्ली। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने बुधवार, 30 सितंबर को 2027-28 विपणन मौसम की छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price, MSP) — वह न्यूनतम कीमत जिस पर सरकार किसी फसल को खरीदने की पेशकश करती है — बढ़ा दिए। गेहूँ में सबसे कम बढ़ोतरी हुई, ₹25 बढ़कर ₹2,610 प्रति क्विंटल (0.97%), जो 2010-11 के बाद सबसे कम निरपेक्ष वृद्धि है, ऐसा द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया। कुसुम (सैफलावर) में सबसे अधिक, ₹675 बढ़कर ₹7,215 (10.3%) हुई। रेपसीड-सरसों ₹413 बढ़कर ₹6,613, मसूर ₹390 बढ़कर ₹7,390, जौ ₹136 बढ़कर ₹2,286 और चना ₹83 बढ़कर ₹5,958 हुआ। मंत्रिमंडल के अनुसार अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर मार्जिन 50% से 106% के बीच है, और गेहूँ पर 106%। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “गेहूँ के भंडार लंबालब हैं”; घोषित उद्देश्य किसानों को दलहन और तिलहन की ओर मोड़ना है।

**एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)**

गेहूँ और चावल की सुनिश्चित खरीद उत्तर-पश्चिमी किसानों को दो अनाजों की ओर झुका देती है → भंडार फूलते हैं जबकि भारत दालें और खाद्य तेल आयात करता है → 2018-19 का बजट लागत के कम से कम डेढ़ गुना MSP का वादा करता है → गेहूँ पहले से लागत से 106% ऊपर है → 2027-28 के दौर में गेहूँ लगभग स्थिर रखा गया और तिलहन व दलहन को तरजीह मिली

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध  
(STATIC SYLLABUS  
LINKAGE)

1. MSP की सिफारिश CACP करता है; निर्णय मंत्रिमंडल लेता है — कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices, CACP), जो 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में गठित हुआ था, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है। यह 22 अधिदेशित फसलों के MSP की सिफारिश करता है; निर्णय CCEA लेती है। इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है, और MSP को कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है।

2. लागत की तीन अवधारणाएँ तय करती हैं कि “लागत पर 50%” का अर्थ क्या है — A2 वह है जो किसान वास्तव में अपनी जेब से खर्च करता है। A2+FL में अवैतनिक पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य जुड़ता है; C2 में इसके अतिरिक्त अपनी भूमि का किराया और अपनी पूँजी पर ब्याज भी जुड़ता है। 2018-19 के बजट ने MSP लागत के कम से कम डेढ़ गुना पर तय किया, जिसे A2+FL के सापेक्ष मापा जाता है; किसान संगठन C2 का डेढ़ गुना मांगते हैं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. पाठ्यक्रम MSP और बफ़र स्टॉक को साथ-साथ गिनाता है — GS3 में “प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे” और “बफ़र स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा के मुद्दे” सूचीबद्ध हैं। यह निर्णय दोनों के लिए तैयार उदाहरण है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य  
(PRELIMS NUGGETS)

- MSP की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है और इसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति मंजूर करती है; इसे कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है।
- छह अधिदेशित रबी फसलें गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रेपसीड-सरसों और कुसुम हैं।
- PM-AASHA की मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme) के अंतर्गत जब बाज़ार भाव MSP से नीचे गिरते हैं तो केंद्रीय एजेंसियाँ दलहन, तिलहन और खोपरा MSP पर खरीदती हैं।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. लेंस — बाज़ार और राज्य: MSP अब फसल का संकेत है, पर संकेत वहीं चलता है जहाँ कोई खरीदार हो — गेहूँ को 0.97% पर रोककर कुसुम को 10.3% देना किसानों को बताता है कि राज्य कौन-सी फसल चाहता है। पर किसान गेहूँ इसलिए उगाते हैं कि वह थोक में और एक जाने-पहचाने केंद्र पर खरीदा जाता है — केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मौसम में छह फसलों की खरीद 324 लाख टन बताई, जिसका मूल्य ₹90,962 करोड़ है। सरसों या मसूर के लिए एजेंसियाँ तभी खरीदती हैं जब भाव MSP से नीचे गिरे, और वह भी सीमित मात्रा में। सजग अधिकारी इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि दलहन का रकबा वहीं बदलेगा जहाँ खरीद गेहूँ जितनी निश्चित हो।
2. ₹25 की बढ़ोतरी वास्तविक रूप में कटौती है, और वह भी चुनाव-पूर्व वर्ष में चुनी गई — 1% से कम की वृद्धि सामान्य महंगाई से नीचे है, इसलिए सूखे के वर्ष में गेहूँ का वास्तविक न्यूनतम

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <p>मूल्य घटता है। द इंडियन एक्सप्रेस ध्यान दिलाता है कि गेहूँ उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब अगले साल की शुरुआत में मतदान करेंगे, फिर भी सरकार ने संयम चुना। बचाव में तर्क है कि गेहूँ पहले से लागत पर 106% कमा रहा है, जो सबसे ऊँचा मार्जिन है, और भंडार में हर अतिरिक्त टन पर भंडारण और सब्सिडी का खर्च बैठता है।</p> <p><b>3. समता की खाई: कागज़ पर उदार मार्जिन, जहाँ खरीद नहीं है वहाँ पतला</b> — 50% से 106% के मार्जिन किराये को गिनते ही नहीं, इसलिए बँटाईदार किसानों की कमाई शीर्षक आँकड़े से बहुत कम रहती है। MSP का पैसा मुख्यतः उन राज्यों तक पहुँचता है जहाँ खरीद का जाल घना है, जबकि अन्यत्र छोटे उत्पादक व्यापारियों को न्यूनतम मूल्य से नीचे बेचते हैं। ऊँचे आँकड़े से अधिक उन्हें ज़्यादा खरीद केंद्र लाभ पहुँचाएँगे।</p>                                                                                    |
| संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)                             | 2027-28 के रबी MSP निर्णय के आलोक में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को गेहूँ से हटाकर दलहन और तिलहन की ओर मोड़ सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)   | <p><b>1. निर्देश</b> — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — MSP की मूल्य-संकेत के रूप में शक्ति को उसकी सीमाओं के सामने तौलिए और एक निष्कर्ष पर पहुँचिए।</p> <p><b>2. भूमिका</b> — बँटे हुए निर्णय से शुरू कीजिए — गेहूँ 0.97% बढ़कर ₹2,610, कुसुम 10.3% ऊपर, घोषित उद्देश्य विविधीकरण।</p> <p><b>3. जब प्रतिफल सुनिश्चित हो तो सापेक्ष कीमतें फ़सलें बदल सकती हैं</b> — गेहूँ के 106% मार्जिन ने उसे स्थिर रखने की गुंजाइश दी।</p> <p><b>4. खरीद के बिना दलहन और तिलहन के लिए संकेत टूट जाता है</b> — मूल्य-संवर्धन: PM-AASHA केवल MSP से नीचे के भाव पर खरीदता है, जबकि गेहूँ की खरीद असीमित है। आरेख: MSP से खरीद, फिर अपेक्षित आय, फिर फ़सल-चयन तक का प्रवाह-चित्र, जो दलहन के लिए खरीद पर टूटा हुआ हो।</p> <p><b>5. निष्कर्ष</b> — खरीद से समर्थित कीमत — MSP फ़सलों को तभी मोड़ता है जब खरीद सुनिश्चित हो और दलहन की उपज बेहतर हो।</p> |
| प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH) | <p>प्रश्न 1. आप सरसों उत्पादक ज़िले के कलेक्टर हैं और कटाई के समय मंडी भाव नए ₹6,613 के MSP से नीचे पाते हैं। आप क्या करेंगे?</p> <p><b>दृष्टिकोण (Approach):</b> मैं राज्य से मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत तत्काल खरीद शुरू करने का अनुरोध करूँगा और गाँवों के पास खरीद केंद्र खुलवाऊँगा। किसानों का पहले से पंजीकरण होगा और उन्हें गुणवत्ता मानक बता दिए जाएँगे। मैं इस पर नज़र रखूँगा कि कहीं व्यापारी अपना माल किसानों के नाम से न निकालें।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 3.2 महाराष्ट्र ने 358 में से 265 तालुकाओं में सूखा घोषित किया, गन्ना कटाई मज़दूर कर्ज़ में डूबे महीनों पहले ही पलायन कर गए

**मुद्दा** सूखा और रबी मौसम की तैयारी (कड़ी 5) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य • विकास और समता

अब तक की कहानी कमजोर मानसून और मज़बूत होते एल नीनो के बीच केंद्र ने रबी की योजना पहले शुरू कर दी। महाराष्ट्र की सूखा घोषणा के 5 अक्टूबर तक NDRF नियमों की प्रतीक्षा करने की आशा थी, जबकि मराठवाड़ा के 76 में से 74 तालुके सूखा-प्रभावित थे।

**समाचार (THE NEWS)** मुंबई। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार महाराष्ट्र ने 26 सितंबर को अपने 358 में से 265 तालुकाओं — राज्य के 74% — में, 32 ज़िलों में फैले, सूखा घोषित किया और “ट्रिगर-1” राहत शुरू की; यह वही घोषणा है जिसे पिछले कार्डों में लंबित बताया गया था। 30 सितंबर को सूखा-प्रवण सूची में 45 और तालुके जोड़े गए। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता वाली उप-समिति ने बैंकों और सहकारी समितियों से कहा कि प्रभावित किसानों से ऋण की वसूली न करें, और मुख्य सचिव से पूछा कि क्या RBI वसूली रोकने का पत्र जारी कर सकता है। पंचनामे — खेत पर ही फ़सल-हानि का आकलन — पर हर किसान के हस्ताक्षर हैं। लातूर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) के अंतर्गत ज़िले से बाहर चारे की आवाजाही पर रोक लगा दी है। IMD के अंतिम आँकड़े के अनुसार मानसून सामान्य से 12.6% कम रहा। बीड, धुले और नंदुरबार में गन्ना कटाई मज़दूर श्रम ठेकेदारों के कर्ज़दार होकर महीनों पहले ही निकल चुके हैं।

**एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)**

मानसून सामान्य से 12.6% कम रहकर समाप्त होता है, बारिश के दौरों के बीच 40-60 दिन का अंतराल → मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में खरीफ़ की फ़सल नष्ट होती है → राज्य सूखा घोषित करता है और ऋण वसूली रोकता है → स्थानीय काम के बिना परिवार मुकादमों से पेशगी लेते हैं → वे अगस्त-सितंबर में चीनी कारख़ानों के लिए निकल पड़ते हैं, होली तक वहीं बँधे रहते हैं

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)</p>                                | <p><b>1. सूखा-नियमावली तीन चरणों में कसौटी तय करती है</b> — सूखा प्रबंधन नियमावली (Manual for Drought Management, 2016, 2020 में अद्यतन) पहले दो अनिवार्य सूचकों, वर्षा-विचलन और शुष्क अवधि (ट्रिगर 1), की जाँच करती है। यदि वे सक्रिय हों तो राज्य ट्रिगर 2 के रूप में प्रभाव-सूचकों का आकलन करता है, फिर मध्यम या गंभीर सूखा घोषित करने से पहले नमूना क्षेत्र-सर्वेक्षण (साउंड ट्रिगिंग) कराता है। राहत राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से मिलती है, और केंद्रीय दल के दौरे के बाद गंभीर घटनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अतिरिक्त राशि दी जाती है।</p> <p><b>2. श्रमिक को एक नियोक्ता से बाँधने वाली पेशगी बंधुआ मजदूरी हो सकती है</b> — अनुच्छेद 23 बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध करता है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976) ऐसी हर व्यवस्था को समाप्त करता है जिसमें व्यक्ति पेशगी लेता है और बदले में नियोक्ता चुनने या कहीं आने-जाने की स्वतंत्रता खो देता है, और वह ऋण भी समाप्त कर देता है। ज़िला मजिस्ट्रेट इसे सतर्कता समितियों के माध्यम से लागू करता है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)</p>                  | <p><b>1. सूखा वहाँ आता है जहाँ कृषि और आपदा प्रबंधन मिलते हैं</b> — GS3 में फसल प्रतिरूप के साथ “आपदा और आपदा प्रबंधन” सूचीबद्ध है, और GS1 में “निर्धनता और विकासात्मक मुद्दे” पृष्ठे जाते हैं। संकटजनित प्रवासन एक ही उत्तर में राहत, ऋण और श्रम कानून को एक साथ पिरोने देता है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)</p>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● सूखा प्रबंधन नियमावली के अंतर्गत वर्षा-विचलन और शुष्क अवधि ट्रिगर 1 के दो अनिवार्य सूचक हैं।</li> <li>● सूखा राज्य सरकार घोषित करती है, केंद्र या IMD नहीं।</li> <li>● SDRF और NDRF का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत होता है।</li> <li>● बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 को ज़िला मजिस्ट्रेट सतर्कता समितियों के माध्यम से लागू करता है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>विश्लेषण (ANALYSIS)</p>                                                              | <p><b>1. लेंस — केंद्र और राज्य: महाराष्ट्र ने पहल की और कीमत भी पहले वही चुकाता है</b> — राज्य ने पिछले सप्ताह बताई गई 5 अक्टूबर की तिथि से पहले घोषणा कर दी, और ठीक किया: विलंबित राहत, नकारी हुई राहत है। पर जल्दी की राहत राज्य के अपने कोष और बजट से आती है, जो ₹40,385 करोड़ की ऋण माफ़ी से पहले ही खिंचा हुआ है, जबकि केंद्रीय धन ज्ञापन और दौरे पर आने वाले दल के बाद आता है। RBI से किया गया अनुरोध राज्य की शक्ति की सीमा दिखाता है: बैंकिंग संघ का विषय है, इसलिए राज्य अनुरोध कर सकता है, ऋण-स्थगन का आदेश नहीं दे सकता। सजग अधिकारी नियमावली के वस्तुनिष्ठ ट्रिगरों के आधार पर NDRF की मदद के लिए ज़ोर लगाएगा।</p> <p><b>2. नया ऋण दिए बिना वसूली रोकना किसानों को साहूकारों की ओर धकेलता है</b> — उप-समिति स्वयं कहती है कि जिन किसानों ने सोयाबीन पर ₹18,000 से ₹20,000 प्रति एकड़ खर्च किए, वे निजी साहूकारों से उधार ले रहे हैं। वसूली पर रोक किसान को बैंक से तो बचाती है, पर रबी के लिए बीज का पैसा नहीं देती। राहत के साथ पुनर्गठित ऋण और नया फसल ऋण भी चाहिए।</p> <p><b>3. मुकादम सूखे का अंतिम आश्रयदाता साहूकार बन गया है</b> — जहाँ सार्वजनिक कार्य विफल हैं, वहाँ ठेकेदार की पेशगी भूमिहीन परिवार को मिलने वाला एकमात्र ऋण है, जो पति-पत्नी को लगभग ₹366 प्रति टन पर मार्च तक कारखाने से बाँध देता है। अधिकारी कहते हैं कि नया ग्रामीण रोज़गार मिशन काम देगा; मजदूर कहते हैं कि कोई काम नहीं आया, और बॉम्बे उच्च न्यायालय के पंजीकरण पर ज़ोर के बावजूद ज़िले किसी पलायन की सूचना नहीं देते। किसी विकल्प के अभाव में किया गया चुनाव ही वह चीज़ है जिसके लिए बंधुआ मजदूरी का कानून बना था।</p> |
| <p>संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)</p>                           | <p>विश्लेषण कीजिए कि सूखा किस प्रकार महाराष्ट्र के गन्ना कटाई मजदूरों के मौसमी प्रवासन को ऋण-बंधन के जोखिम में बदल देता है। (10 अंक, 150 शब्द)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)</p> | <p><b>1. निर्देश — विश्लेषण कीजिए</b> — प्रक्रिया को कड़ियों में तोड़िए और दिखाइए कि हर कड़ी अगली तक कैसे ले जाती है।</p> <p><b>2. भूमिका — समय से पहले पलायन</b> — बीड, धुले और नंदुरबार के परिवार अगस्त-सितंबर में निकल गए, जबकि सामान्यतः शुरुआत दशहरा के बाद होती है।</p> <p><b>3. फसल की विफलता और स्थानीय काम का अभाव ठेकेदार की पेशगी को एकमात्र ऋण बना देते हैं</b> — मूल्य-संवर्धन: 358 में से 265 तालुकाओं में सूखा; ग्रामीण मिशन के अंतर्गत कोई काम नहीं। आरेख: फसल-विफलता से पेशगी और फिर होली तक बँधने की शृंखला।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं  
दृष्टिकोण  
(ADMINISTRATOR'S  
BRAINSTORM — Q &  
APPROACH)

4. श्रम के बदले पेशगी का सौदा 1976 के अधिनियम की परिभाषा में आता है — ऋण श्रमिक को एक ही नियोक्ता से बाँध देता है।
5. निष्कर्ष — पंजीकरण कीजिए और घर पर ही रोज़गार दीजिए — प्रवासियों का पंजीकरण, स्थानीय कार्य शुरू करना, सतर्कता समितियों को सक्रिय करना।

प्रश्न 1. आप बीड के कलेक्टर हैं और आपको पता चलता है कि परिवार मुकादमों की पेशगी लेकर जल्दी निकल रहे हैं। आप क्या करेंगे ?

**दृष्टिकोण (Approach):** मैं पहले ग्रामसेवकों और स्कूलों के माध्यम से उनकी गिनती कराऊँगा, क्योंकि सरकारी अभिलेख कोई पलायन नहीं दिखाते। मैं सबसे बदहाल गाँवों में रोज़गार कार्य खोलूँगा ताकि रुकना वास्तविक विकल्प बने। मैं सतर्कता समिति से कहूँगा कि जाँचे कि क्या पेशगी श्रमिकों के आने-जाने पर रोक लगाती है।

## 4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

किसी रणनीतिक साझेदारी की परीक्षा केवल शिखर सम्मेलनों में नहीं होती, बल्कि इसमें भी होती है कि साझेदार के युद्ध में फँसे नागरिकों का क्या होता है। रूसी सेना में भर्ती होने को आतुर लोगों के लिए भारत की अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी बताती है कि ध्यान नागरिकों को बचाने से हटकर उन्हें रोकने पर आ गया है, क्योंकि मॉस्को से शांत कूटनीति ने कुछ लोगों को वापस तो बुलवाया है, पर भर्ती का सिलसिला नहीं थमा।

### 4.1 विदेश मंत्रालय की अब तक की सबसे कड़ी सलाह: रूसी सेना में शामिल होने के लिए रूस न जाएँ

**मुद्दा** Indians in Russia's army (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था • रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

अब तक की कहानी 2024 से एजेंटों के नौकरी के झाँसे में आए भारतीय रूस के यूक्रेन मोर्चे पर पहुँचते रहे हैं और भारत उनकी रिहाई की माँग करता रहा है; विदेश मंत्रालय ने क्या पुष्टि की थी, यह दर्पण के 26 सितंबर के क्विक फ़ैक्ट में बताया गया था।

**समाचार (THE NEWS)** नई दिल्ली। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने बुधवार, 30 सितंबर को भारतीयों को रूसी सेना में शामिल होने के लिए रूस जाने से “कड़ाई से हतोत्साहित” किया और “जानलेवा खतरों” की चेतावनी दी। मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने जब से रूस-यूक्रेन युद्ध-मोर्चे के लिए भर्ती किए जा रहे भारतीयों की बढ़ती संख्या का पता लगाना शुरू किया, तब से यह सबसे कड़ी सलाह है। मंत्रालय ने कहा कि दो वर्षों की चेतावनियों के बावजूद भारतीय भर्ती होते जा रहे हैं, और “कई मामलों” में वे यह मानकर स्वेच्छा से शामिल हुए कि पर्याप्त कमाई कर लेने के बाद भारत सरकार उनकी रिहाई करा देगी। मंत्रालय ने कहा, “यह एक खतरनाक रास्ता है,” और जोड़ा कि रूसी सेना में मौजूद सभी भारतीयों की शीघ्र सेवामुक्ति के लिए वह रूसी अधिकारियों के संपर्क में है। अधिकारियों ने बताया कि मॉस्को से मिली विशेष छूट के बाद दर्जनों लोग लौट चुके हैं — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2024 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष यह मुद्दा उठाया था — पर भर्ती एजेंटों के “आकर्षक” प्रस्तावों के झाँसे में आकर और लोग शामिल होते जा रहे हैं।

**एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)**

रूस के युद्ध को विदेशी रंगरूट चाहिए → एजेंट इसे नौकरी बताकर बेचते हैं → भारतीय मोर्चे तक पहुँच जाते हैं; मोदी जुलाई 2024 में पुतिन के समक्ष मुद्दा उठाते हैं → विशेष छूट से दर्जनों लौटते हैं, फिर भी रिहाई की आस में और लोग शामिल होते हैं → विदेश मंत्रालय बचाव से रोकथाम की ओर बढ़ता है

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध<br/>(STATIC SYLLABUS<br/>LINKAGE)</p>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>उत्प्रवास अधिनियम, 1983 केवल कुछ देशों में जाने वाले कुछ कामगारों की ही रक्षा करता है — यह अधिनियम विदेश में रोज़गार के लिए प्रवासी संरक्षक (Protector of Emigrants) से मंजूरी अनिवार्य करता है, पर यह उत्प्रवास जाँच आवश्यक (ECR) पासपोर्ट धारकों पर और 17 अधिसूचित ECR देशों में जाने पर ही लागू होता है, जो अधिकतर खाड़ी और पश्चिम एशिया में हैं। रूस ECR देश नहीं है, इसलिए यह मार्ग अधिनियम की मुख्य जाँच से बाहर रह जाता है।</li> <li>अनुच्छेद 23 और आपराधिक कानून छल से की गई भर्ती को भी कवर करते हैं — अनुच्छेद 23 मानव-व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है और निजी व्यक्तियों के साथ-साथ राज्य पर भी बाध्यकारी है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita) शोषण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को छल से भर्ती करने या ले जाने को दंडनीय बनाती है। भारत ने 2011 में अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की पुष्टि की थी, जिसका पूरक मानव-तस्करी विरोधी पालेर्मो प्रोटोकॉल है।</li> </ol> |
| <p>यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>प्रवासी समुदाय अब सुरक्षा और कांसुलर दोनों का प्रश्न है — GS2 में “विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव, भारतीय प्रवासी” का उल्लेख है। किसी विदेशी युद्ध में फँसा नागरिक कांसुलर संरक्षण और साझेदारी, दोनों की एक साथ परीक्षा लेता है।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य<br/>(PRELIMS NUGGETS)</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत अधिसूचित ECR देशों में रोज़गार के लिए जाने वाले ECR पासपोर्ट धारकों के लिए उत्प्रवास मंजूरी आवश्यक है; रूस उनमें शामिल नहीं है।</li> <li>विदेशी भर्ती एजेंटों का विदेश मंत्रालय के अधीन प्रवासी संरक्षक महानिदेशक (Protector General of Emigrants) के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है।</li> <li>अनुच्छेद 23 मानव-व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का निषेध करता है और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रवर्तनीय है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>विश्लेषण (ANALYSIS)</p>                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>लेंस — रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी: भारत सार्वजनिक दबाव से नहीं, शांत अनुरोधों से नागरिकों की रक्षा करता है — भारत ने युद्ध पर रूस की निंदा नहीं की है और रक्षा आपूर्ति तथा तेल के लिए उस पर निर्भर है। इसलिए वह रंगरूटों के मामले को नेता-स्तर के अनुरोधों और “विशेष छूट” के ज़रिए संभालता है। क्रीमल यह है कि हर रिहाई एक मेहरबानी बन जाती है, अधिकार नहीं, और भर्ती जारी रहती है। एक विचारशील अधिकारी शांत माध्यम को बनाए</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <p>रखेगा, पर रूस से भारतीयों को भर्ती न करने की टोस प्रतिबद्धता भी माँगेगा; साझेदारी इस अनुरोध का बोझ सह सकती है।</p> <p>2. सलाह ज़िम्मेदारी को कुछ हद तक नागरिकों पर डालती है, और यह आंशिक रूप से उचित भी है — अनेक रंगरूटों को स्वेच्छा से गया बताकर सरकार नागरिकों को संदेश दे रही है कि बचाव की गारंटी नहीं है। इससे नैतिक संकट (moral hazard) थमता है: यदि हर रंगरूट मानकर चले कि उसे घर लाया जाएगा, तो और लोग हस्ताक्षर करेंगे। प्रतिवाद यह है कि एजेंट के झूठे वादे पर किया गया चुनाव वास्तव में स्वतंत्र नहीं होता, इसलिए रोकथाम की सबसे भारी मार रंगरूटों पर नहीं, एजेंटों पर पड़नी चाहिए।</p> <p>3. राज्य नागरिक को यात्रा से नहीं रोक सकता, इसलिए कानून को भर्ती करने वाले को पकड़ना होगा — विदेश यात्रा वैयक्तिक स्वतंत्रता का हिस्सा है और ECR से बाहर के गंतव्य के लिए किसी मंजूरी की ज़रूरत नहीं, इसलिए सरकार केवल सलाह दे सकती है। प्रवर्तन का बिंदु भारत में बैठा वह एजेंट है जो लड़ाई के अनुबंध को नौकरी बताकर बेचता है — ऐसा छल जिससे आपराधिक कानून पहले से ही कवर करता है। कुछ पर मुकदमा चलाने से यह मार्ग किसी भी सलाह से ज़्यादा जल्दी बंद होगा।</p> |
| संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)                             | <p>किसी रणनीतिक साझेदारी पर आँच आए बिना भारत किस सीमा तक विदेशी सेना में भर्ती हुए अपने नागरिकों की रक्षा कर सकता है? रूसी सशस्त्र बलों में भारतीयों के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)   | <p>1. निर्देश — किस सीमा तक — दिखाइए कि भारत क्या हासिल कर सकता है, उसका प्रभाव कहाँ समाप्त होता है, और संतुलित निष्कर्ष पर पहुँचिए।</p> <p>2. भूमिका — अब तक की सबसे कड़ी सलाह — 30 सितंबर को विदेश मंत्रालय ने “जानलेवा खतरों” का हवाला देते हुए भारतीयों को रूसी सेना में शामिल होने से “कड़ाई से हतोत्साहित” किया।</p> <p>3. शांत कूटनीति ने मामले-दर-मामले काम किया है — मूल्यवर्धन: मोदी ने जुलाई 2024 में पुतिन के समक्ष यह मुद्दा उठाया; विशेष छूट के तहत दर्जनों लोग लौटे।</p> <p>4. कानूनी जाल में एक ऐसा अंतराल है जिसे कूटनीति नहीं भर सकती — रूस ECR देश नहीं है, इसलिए तस्करी-विरोधी कानून को एजेंटों तक पहुँचना होगा। आरेख: एजेंट से अनुबंध, मोर्चा और सेवामुक्ति के अनुरोध तक का फ़्लोचार्ट, जिसमें कानून और कूटनीति के सक्रिय होने के बिंदु चिह्नित हों।</p> <p>5. निष्कर्ष — साझेदारी को प्रभाव के रूप में प्रयोग कीजिए — विदेश में भर्ती न करने की प्रतिबद्धता माँगीए और देश में एजेंटों पर मुकदमा चलाइए।</p>                                                                                                                                           |
| प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH) | <p>प्रश्न 1. पुलिस अधीक्षक के रूप में आप पाते हैं कि आपके ज़िले के कई युवक एक ही एजेंट के माध्यम से रूस गए हैं। आप क्या करेंगे?</p> <p><b>दृष्टिकोण (Approach):</b> मैं परिवारों की गवाही और उन्हें दिखाए गए प्रस्तावों के आधार पर एजेंट के विरुद्ध छल से तस्करी का मामला दर्ज करूँगा, और जाँचूँगा कि वह पंजीकृत भर्ती एजेंट हैं या नहीं। मैं विवरण विदेश मंत्रालय के साथ साझा करूँगा ताकि इन युवकों का पता लगाया जा सके और उनकी सेवामुक्ति की माँग की जा सके।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

आज की दोनों खबरों में राज्य बीच का रास्ता चुनता दिखता है और उसे संतुलन का नाम देता है। कार-मानक ईंधन खपत को कसते हैं, पर हाइब्रिड और एथेनॉल को भी इलेक्ट्रिक कारों के साथ श्रेय में हिस्सेदार बना देते हैं; सर्वोच्च न्यायालय पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से इनकार करता है, पर चौबीसों घंटे पटाखे फोड़ने की छूट भी नहीं देता। दोनों ही मामलों में असली कसौटी कागज़ पर लिखा नियम नहीं, बल्कि यह है कि कोई उसे नापता और लागू करवाता है या नहीं।

### 5.1 केंद्र ने 2027-32 के लिए CAFE-III ईंधन मानक अधिसूचित किए, हर इलेक्ट्रिक कार तीन गाड़ियों के बराबर गिनी जाएगी

**मुद्दा** स्वच्छ वाहनों की ओर बदलाव (कड़ी 3) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण • बाज़ार और राज्य

अब तक की कहानी दिल्ली 2027 से केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का पंजीकरण करेगी। अगस्त 2026 में नई कारों की बिक्री में वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियाँ पेट्रोल से आगे निकल गईं, पर अगुवाई EV की नहीं, CNG और हाइब्रिड की रही।

**समाचार (THE NEWS)** नई दिल्ली। केंद्र ने यात्री कारों के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (Corporate Average Fuel Economy, CAFE) मानकों का तीसरा चरण, CAFE-III, अधिसूचित कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक लागू रहेगा; द इंडियन एक्सप्रेस अधिसूचना की तिथि 29 सितंबर बताता है और वक्तव्य विद्युत मंत्रालय ने जारी किया। CAFE एक बेड़े-औसत की सीमा है: कार निर्माता कुछ अधिक ईंधन पीने वाले मॉडल भी बेच सकता है, बशर्ते उसकी कुल बिक्री का औसत सीमा के भीतर रहे। मानक 3.996 से घटाकर 3.3273 पेट्रोल-समतुल्य लीटर प्रति 100 किमी किया गया है, यानी पाँच वर्षों में लगभग 16.7% की सख्ती। हर बैटरी या रेंज-एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक वाहन तीन वाहनों के बराबर गिना जाएगा, जिसे “सुपर क्रेडिट” कहा गया है; प्लग-इन हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 2.5, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.6 तथा फ्लेक्स-फ्यूल वाहन 1.1 गिने जाएँगे। संदर्भ वजन 1,082 किग्रा से बढ़ाकर 1,229 किग्रा कर दिया गया है, 909 किग्रा तक की कारों के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त रियायत हटा दी गई है, और मानक से बेहतर प्रदर्शन करने वालों को व्यापार-योग्य क्रेडिट मिलेंगे। यह प्रदूषण और ऊर्जा पर GS3 का विषय है।

**एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)**

कारें आयातित तेल जलाती हैं और CO2 छोड़ती हैं → CAFE-I और CAFE-II ने 2017 से बेड़े की सीमाएँ तय कीं → EV महँगी बनी रहीं जबकि हाइब्रिड, CNG और एथेनॉल बढ़े → छोटी कारों की रियायत पर खींचतान से उद्योग बँटा → CAFE-III ने लक्ष्य कसे और क्रेडिट का दायरा फैलाया

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)</p>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CAFE मानक ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 से आते हैं, प्रदूषण कानून से नहीं — विद्युत मंत्रालय ने CAFE मानक पहली बार 2017 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (Energy Conservation Act, 2001) के अंतर्गत अधिसूचित किए थे; इसकी वैधानिक संस्था ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency, BEE) है। 2022-23 से लागू दूसरे चरण में औसत 113 ग्राम CO2 प्रति किमी तय किया गया था।</li> <li>2. भारत स्टेज मानक और CAFE अलग-अलग चीज़ों को नियंत्रित करते हैं — केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अधिसूचित भारत स्टेज (BS) मानक प्रत्येक वाहन से निकलने वाले कणीय पदार्थ और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों की सीमा तय करते हैं; भारत 1 अप्रैल 2020 को सीधे BS-IV से BS-VI पर चला गया था। इसके विपरीत CAFE किसी निर्माता की समस्त बिक्री में औसत ईंधन खपत और CO2 की सीमा बाँधता है। दोनों भारत के NDC की पूर्ति में सहायक हैं: 2005 की तुलना में 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और 2070 तक नेट ज़ीरो।</li> </ol> |
| <p>यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GS3 के पाठ्यक्रम की पंक्ति है “संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण” — CAFE-III आदेश-नियंत्रण वाले नियम के भीतर बाज़ार-आधारित उपकरण, यानी व्यापार-योग्य क्रेडिट, का अच्छा उदाहरण है; यही दिखाता है कि सब्सिडी के बजाय विनियमन भी प्रौद्योगिकी के चुनाव को दिशा दे सकता है।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● यात्री वाहनों के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) मानक विद्युत मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत अधिसूचित किए जाते हैं।</li> <li>● ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।</li> <li>● CAFE अनुपालन की गणना निर्माता के पूरे बेड़े पर होती है, अलग-अलग मॉडलों पर नहीं।</li> <li>● “सुपर क्रेडिट” या वॉल्यूम डेरोगेशन फैक्टर बेड़ा-औसत की गणना में एक कम-उत्सर्जन वाले वाहन को एक से अधिक वाहनों के रूप में गिनने देता है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>विश्लेषण (ANALYSIS)</p>                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. लेंस — विकास और पर्यावरण: CAFE-III आज ईंधन की बचत कराता है, पर इसकी कीमत धीमा इलेक्ट्रिक भविष्य है — हाइब्रिड, एथेनॉल और प्लग-इन को प्रोत्साहन देकर यह नियम</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <p>कार निर्माताओं को बैटरी कारों पर भारी दौंव लगाए बिना लक्ष्य पूरा करने देता है। ET के अनुसार S&amp;P ग्लोबल मोबिलिटी का मानना है कि इससे शुद्ध-EV की महत्वाकांक्षाएँ पटरी से उतरेंगी, और सेंटर फ़ॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को EV अपनाने की गति धीमी पड़ने का भय है। फिर भी आज बिका हाइब्रिड आज ही ईंधन बचाता है। विवेकशील अधिकारी इस चरण के लिए बहुविध रास्ते को स्वीकार करेगा, साथ में समीक्षा खंड रखेगा ताकि हाइब्रिड स्थायी चक्करदार रास्ता बन जाए तो CAFE-IV में EV का भार बढ़ाया जा सके।</p> <p><b>2. शीर्षक लक्ष्य से अधिक वज़न का सूत्र तय करता है कि कौन जीतेगा</b> — भारी SUV का बेड़ा हल्की हैचबैक के बेड़े से अधिक ईंधन जला सकता है, इसलिए संदर्भ वज़न कंपनियों के बीच बोझ को इधर-उधर करता है। 909 किया की छूट हटाने से सबसे अधिक छोटी कारें बनाने वाली कंपनी को मिला विशेष लाभ समाप्त हो गया। इसीलिए इस खींचतान में उद्योग बँट गया: नियम केवल उत्सर्जन नहीं, अनुपालन की लागत का भी पुनर्वितरण करता है।</p> <p><b>3. व्यापार-योग्य क्रेडिट तभी कारगर हैं जब प्रवर्तन विश्वसनीय हो</b> — किसी भी कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली की तरह, मानक से बेहतर करने वालों को पिछड़ने वालों को क्रेडिट बेचने देने से लक्ष्य पाने की कुल लागत घटती है। पर यह तभी चलता है जब डेबिट पर वास्तविक दंड लगे और आँकड़ों का अंकेक्षण हो; जिस लक्ष्य पर कभी दंड नहीं लगता, वह मात्र दिशा-निर्देश बनकर रह जाता है।</p> |
| संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)                             | <p>ऐसे बेड़ा-औसत ईंधन मानक, जो अनेक प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देते हैं, भारत के इलेक्ट्रिक कारों की ओर संक्रमण को धीमा कर सकते हैं। CAFE-III के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)   | <p><b>1. निर्देश</b> — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — प्रौद्योगिकी-तटस्थ मानक के लाभों को विद्युतीकरण पर पड़ने वाले जोखिम के सामने तौलिए और एक निष्कर्ष पर पहुँचिए।</p> <p><b>2. भूमिका</b> — CAFE-III 2027 से 2032 के बीच बेड़े के औसत को 16.7% कसता है — CAFE को एक पंक्ति में परिभाषित कीजिए।</p> <p><b>3. मुख्य भाग</b> — अनेक क्रेडिट ईंधन खपत को तेज़ी से और सस्ते में घटाते हैं — मूल्य-संवर्धन: 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी का NDC लक्ष्य।</p> <p><b>4. मुख्य भाग</b> — जब हाइब्रिड को 1.6 से 2.5 मिलते हैं तो EV का 3 गुना गुणक फीका पड़ जाता है — आरेख: गुणकों 3, 2.5, 1.6, 1.1 का दंड आलेख।</p> <p><b>5. मुख्य भाग</b> — अंकेक्षित प्रवर्तन के बिना क्रेडिट बाज़ार विफल हो जाता है — दंड और अंकेक्षित आँकड़े नतीजे तय करते हैं।</p> <p><b>6. निष्कर्ष</b> — अभी बहुविध मार्ग स्वीकारें, CAFE-IV में EV का भार बढ़ाएँ — समीक्षा खंड संक्रमण को ईमानदार बनाए रखता है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH) | <p>प्रश्न 1. विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि CAFE-III के लक्ष्य वास्तव में लागू हों?</p> <p><b>दृष्टिकोण (Approach):</b> मैं हर निर्माता का वार्षिक बेड़ा-आँकड़ा और क्रेडिट शेष प्रकाशित करूँगा, ताकि गैर-अनुपालन खरीदारों और निवेशकों को दिखाई दे। मैं BEE से कहूँगा कि अधिसूचित आँकड़ों के एक नमूने का स्वतंत्र परीक्षणों से अंकेक्षण करे, क्योंकि बेड़ा-औसत उतना ही ईमानदार होता है जितने उसके आगत। डेबिट पर दंड समय से वसूला जाना चाहिए, और मध्यावधि समीक्षा में देखा जाना चाहिए कि कहीं हाइब्रिड क्रेडिट इलेक्ट्रिक कारों को पीछे तो नहीं धकेल रहे।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 5.2 सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली पर पटाखों का पूर्ण प्रतिबंध टुकराया, नए हरित पटाखों के सीमित उपयोग का समर्थन किया

**मुद्रा** दिल्ली-NCR का शीतकालीन वायु प्रदूषण (कड़ी 3) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण • परंपरा और सामाजिक न्याय

अब तक की कहानी: केंद्र और दिल्ली ने हरियाणा द्वारा पराली जलाने पर कार्रवाई कड़ी किए जाने के बाद 1 नवंबर से 28 फ़रवरी तक का शीतकालीन प्रदूषण कैलेंडर तय किया — गैर-BS-VI वाहनों पर प्रवेश रोक, 50% घर से कार्य, निर्माण पर प्रतिबंध।

**समाचार (THE NEWS)** नई दिल्ली। बुधवार, 30 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने दीपावली के लिए देशव्यापी पटाखा प्रतिबंध से इनकार कर दिया और CSIR-NEERI के “सीमित और सशर्त छूट” के सुझाव को स्वीकार किया, ऐसा द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया। CSIR-NEERI वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (National Environmental Engineering Research Institute) है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि NEERI “नेक्स्ट-जनरेशन जॉइंटेड ग्रीन क्रैकर्स” की सिफ़ारिश करता है, यानी

क्रम से फूटने वाली पटाखों की लड़ी, जो केवल लाइसेंसशुदा निर्माता बनाएँ, 125 dB(AI)/145 dB(C) की अधिकतम ध्वनि-सीमा के भीतर हों और बेरियम-मुक्त हों। NEERI के परीक्षणों में पारंपरिक जॉइंटेड पटाखों की तुलना में लगभग 30% कम उत्सर्जन पाया गया। पीठ ने कहा, “पूर्ण प्रतिबंध से कुछ भावनाएँ आहत होंगी... साथ ही, हम कहीं भी 24 घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं देंगे।” बेरियम पटाखों और डेसिबल परीक्षणों पर लंबित CPCB रिपोर्ट के बाद वह समय-सीमाएँ तय करेगी। मामला अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ (Arjun Gopal v. Union of India) है।

### एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

दिल्ली का शीतकालीन धुंध दीपावली के आसपास चरम पर होता है → अर्जुन गोपाल में बच्चों की याचिका से 2016 से बिक्री पर रोक लगी → न्यायालय ने 2018 से NEERI के हरित पटाखों को बीच के रास्ते के रूप में स्वीकारा → प्रतिबंध लागू कराना कठिन रहा और पर्व की भावना कठोर होती गई → न्यायालय ने पूर्ण प्रतिबंध टुकराकर समय-सीमाओं और परीक्षित संरचनाओं की ओर रुख किया

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)</p>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्वच्छ वायु अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग है — सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (Subhash Kumar v. State of Bihar, 1991) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण-मुक्त जल और वायु का आनंद लेने का अधिकार भी शामिल है। एम.सी. मेहता मामलों में इसे दिल्ली की हवा पर लागू किया गया, CNG बसों से लेकर आगे तक। 2015 में तीन शिशुओं की ओर से दायर अर्जुन गोपाल में न्यायालय ने 23 अक्टूबर 2018 को केवल उन्नत और हरित पटाखों की अनुमति दी, जॉइंटेड पटाखों और बेरियम लवणों पर रोक लगाई और दीपावली पर रात 8-10 बजे की समय-सीमा तय की।</li> <li>2. पटाखों का नियमन कौन करता है: PESO, CPCB और CAQM, तीनों के हिस्से में एक-एक टुकड़ा — पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (Petroleum and Explosives Safety Organisation, PESO) विस्फोटक अधिनियम, 1884 (Explosives Act, 1884) के अंतर्गत आतिशबाज़ी के निर्माण और भंडारण को लाइसेंस देता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्सर्जन और ध्वनि मानक तय करता और उनका परीक्षण करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जो 2021 के अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक निकाय है, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में शीतकालीन कार्रवाई का समन्वय करता है।</li> </ol>                                      |
| <p>यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GS3 के “पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण” का मेल GS2 में न्यायपालिका की भूमिका से होता है — प्रदूषण का न्यायिक शासन बार-बार सामने आता है: जहाँ कार्यपालिका की एजेंसियाँ मानक, समय और परीक्षण तय नहीं करतीं, वहाँ न्यायालय तय करते हैं।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● हरित पटाखे CSIR-NEERI, नागपुर ने विकसित किए हैं: इनका उत्सर्जन पारंपरिक पटाखों से कम होता है और इनमें बेरियम नाइट्रेट जैसे प्रतिबंधित रसायन नहीं होते।</li> <li>● पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत आतिशबाज़ी के निर्माण को लाइसेंस देता है।</li> <li>● सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) ने प्रदूषण-मुक्त वायु और जल के अधिकार को अनुच्छेद 21 में पढ़ा।</li> <li>● राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग संसद के 2021 के अधिनियम से बना वैधानिक निकाय है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>विश्लेषण (ANALYSIS)</p>                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. लेंस — परंपरा और सामाजिक न्याय: न्यायालय प्रतीकात्मक प्रतिबंध के बदले लागू किया जा सकने वाला प्रतिबंध चुन रहा है — पूर्ण प्रतिबंध सुनने में कड़ा लगता है, पर उसकी व्यापक अनदेखी होती है, इसलिए वह फेफड़ों की रक्षा केवल कागज़ पर करता है। छोटी समय-सीमाएँ और लाइसेंसशुदा हरित पटाखे लोगों से कम माँगते हैं और उनके माने जाने की संभावना अधिक है। इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है जिनका नाम पीठ ने लिया — बीमार, बुजुर्ग और बच्चे। सजग अधिकारी समय-सीमा का समर्थन करेगा, पर अवैध भंडार की जाँच भी साथ जोड़ेगा, क्योंकि यह समझौता तभी चलता है जब पारंपरिक पटाखे बाज़ार से गायब हो जाएँ।</li> <li>2. पटाखे एक छोटा, तीखा उछाल हैं, शीतकालीन धुंध का मुख्य स्रोत नहीं — दिल्ली के पूरे मौसम भर के प्रदूषण का कारण वाहन, धूल और पराली जलाना हैं: पटाखे एक शांत रात में अचानक चरम जोड़ देते हैं। समय-सीमाएँ उस उछाल को थामती हैं, पर शीतकालीन कैलेंडर के बिना केवल पटाखों को ठीक करना दिखावा होगा।</li> <li>3. विज्ञान-आधारित आदेश उतने ही अच्छे हैं जितना उनके पीछे का परीक्षण — CPCB के बेरियम और डेसिबल परीक्षणों की प्रतीक्षा करना उचित है, पर तब नियम दीपावली के बहुत करीब आ सकते हैं, जिससे निर्माताओं और पुलिस को बहुत कम समय मिलेगा। नियामकों को परीक्षण मौसम के दौरान नहीं, उससे पहले करने होंगे।</li> </ol> |
| <p>संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)</p>          | <p>“न पूर्ण प्रतिबंध, न अनियंत्रित उपयोग।” अनुच्छेद 21 और पर्व की प्रथा के बीच संतुलन साधने में पटाखों पर सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श  
दृष्टिकोण (MODEL  
APPROACH TO THE  
MAINS QUESTION)

1. निर्देश — टिप्पणी कीजिए — इस पर तर्कसंगत राय दीजिए कि बीच का रास्ता कारगर है या नहीं।
2. भूमिका — पीठ ने 30 सितंबर को पूर्ण प्रतिबंध ठुकराया — अर्जुन गोपाल और NEERI के 30% कम उत्सर्जन वाले पटाखों का नाम लीजिए।
3. मुख्य भाग — समय-सीमाएँ उस एक रात के उछाल को निशाना बनाती हैं जिसे प्रतिबंध रोक नहीं पाए — मूल्य-संवर्धन: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ वायु पर सुभाष कुमार (1991)।
4. मुख्य भाग — भंडार की जाँच और समय पर CPCB परीक्षण के बिना यह समझौता विफल होगा — प्रवाह-चित्र बनाइए: NEERI संरचना → PESO लाइसेंस → CPCB परीक्षण → बिक्री पर पुलिस जाँच।
5. निष्कर्ष — लागू किए जा सकने वाले सीमांकन अनलागू प्रतिबंधों से बेहतर हैं — इसे शीतकालीन कैलेंडर के साथ जोड़िए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं  
दृष्टिकोण  
(ADMINISTRATOR'S  
BRAINSTORM — Q &  
APPROACH)

प्रश्न 1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में आप दीपावली की रात दो घंटे की हरित-पटाखा समय-सीमा को कैसे लागू करवाएंगे?

**दृष्टिकोण (Approach):** मैं केवल उन विक्रेताओं को लाइसेंस दूँगा जिनके पास PESO-लाइसेंसशुदा, CPCB-लेबल वाला माल हो, और पर्व से पखवाड़ा भर पहले पारंपरिक पटाखों के लिए गोदामों पर छापे मारूँगा। रात को पुलिस और निवासी कल्याण संघ एक हेल्पलाइन साझा करेंगे, और जुमाने पहले से घोषित होंगे। पार्टिबल वायु और ध्वनि मॉनिटर अगले दिन अपनी रीडिंग प्रकाशित करेंगे। संदेश यह होना चाहिए कि समय-सीमा सबकी साझी मर्यादा है, पर्व पर प्रतिबंध नहीं।

## 6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

भारत की AI महत्वाकांक्षा उन चिप्स पर टिकी है जो वह बनाता नहीं, और उन डॉलरों पर जो उसे खर्चने पड़ते हैं। इंडियाएआई मिशन का पुनर्निर्धारण दिखाता है कि निजी आपूर्तिकर्ताओं से कंप्यूट किराये पर लेने की योजना तब टूट जाती है जब वैश्विक क्रीमतेन दोगुनी हो जाएँ, और सरकार अब कुछ मशीनों का स्वामित्व स्वयं रखना सीख रही है।

### 6.1 GPU की क्रीमतेन दोगुनी होने और वादा की गई क्षमता न मिलने के बाद इंडियाएआई मिशन का पुनर्निर्धारण होगा

**मुद्दा** IndiaAI Mission and compute (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** नवाचार और सुरक्षा उपाय • बाज़ार और राज्य

अब तक की कहानी मार्च 2024 में स्वीकृत इंडियाएआई मिशन ने सरकार द्वारा सूचीबद्ध निजी आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से स्टार्टअप और शोधकर्ताओं को GPU तक सब्सिडी-प्राप्त पहुँच का वादा किया था।

**समाचार (THE NEWS)** नई दिल्ली और बेंगलुरु। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इंडियाएआई मिशन को नए सिरे से ढालने की योजना बना रहा है, क्योंकि GPU, मेमोरी, स्टोरेज और नेटवर्किंग की क्रीमतेन एक वर्ष में “दोगुने से भी अधिक” हो गई हैं। GPU (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) वह चिप है जो AI मॉडलों को प्रशिक्षित करती और चलाती है। मिशन की पहुँच में 45,000 के वादे के मुकाबले लगभग 30,000 GPU हैं, क्योंकि कई कंपनियाँ आपूर्ति नहीं कर सकीं। एनवीडिया का H200 लगभग \$20,000 से बढ़कर \$40,000 से अधिक का हो गया है; जो सर्वर पहले लगभग ₹2 करोड़ का था, अब लगभग ₹4 करोड़ का है, जबकि रुपया पहले के ₹88 के मुकाबले अब ₹96-97 प्रति डॉलर पर है। एक आपूर्तिकर्ता साइप्रस ने लगभग 1,100 GPU देने की पेशकश की थी और लगभग 160 ही दिए। C-DAC ने लगभग 3,000 GPU पूरी तरह अपने स्वामित्व में लेने के लिए बोली जारी की है, जो “कंप्यूट पर स्वामित्व न रखने की पहले की रणनीति से बदलाव” है, और इसके साथ दीर्घकालिक अनुबंध भी होंगे। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा विकास पर उसके प्रभावों से संबंधित GS3 का विषय है।

#### एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

AI को वह कंप्यूट चाहिए जो भारत नहीं बनाता → इंडियाएआई निजी आपूर्तिकर्ताओं से तय दरों पर GPU किराये पर लेता है → वैश्विक मांग और कमज़ोर रुपया क्रीमतेन दोगुनी कर देते हैं → आपूर्तिकर्ता आपूर्ति में विफल रहते हैं → सरकार दोबारा बोली लगाती है और 3,000 GPU खरीदती है

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)</p>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. इंडियाएआई मिशन के सात स्तंभ हैं, जिनमें कंप्यूट पहला है — केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 में ₹10,371.92 करोड़ के परिव्यय से इंडियाएआई मिशन को मंजूरी दी, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत इंडियाएआई इंडिपेंडेंट बिज़नेस डिवीज़न लागू करता है। इसके स्तंभ हैं: सार्वजनिक-निजी भागीदारी से 10,000 या अधिक GPU की कंप्यूट क्षमता, फ़ाउंडेशन मॉडलों के लिए इनोवेशन सेंटर, डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म, अनुप्रयोग विकास, फ़्रयूचरस्किल्स, स्टार्टअप वित्तपोषण, और सुरक्षित एवं विश्वसनीय AI।</li> <li>2. सब्सिडी-प्राप्त कंप्यूट कैसे काम करता है — सरकार निजी डेटा-सेंटर कंपनियों को सूचीबद्ध करती है जो बोली से तय दरों पर GPU-घंटे उपलब्ध कराती हैं, और स्टार्टअप तथा शोधकर्ता उन्हें सब्सिडी-प्राप्त मूल्य पर किराये पर लेते हैं। प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC), जो MeitY की एक वैज्ञानिक सोसायटी है और PARAM सुपरकंप्यूटरों के लिए जानी जाती है, वह एजेंसी है जो अब सीधे GPU खरीद रही है।</li> </ol> |
| <p>यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GS3 में “प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास” का उल्लेख है — AI कंप्यूट इसी पंक्ति की कसौटी है: हार्डवेयर न जुटाया जा सके तो सर्वश्रेष्ठ नीति भी अटक जाती है।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● इंडियाएआई मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 में ₹10,371.92 करोड़ के परिव्यय से मंजूरी दी थी।</li> <li>● इंडियाएआई मिशन को MeitY के डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत इंडियाएआई इंडिपेंडेंट बिज़नेस डिवीज़न लागू करता है।</li> <li>● PARAM श्रृंखला के सुपरकंप्यूटर विकसित करने वाला C-DAC इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक वैज्ञानिक सोसायटी है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>विश्लेषण (ANALYSIS)</p>                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. लेंस — बाज़ार और राज्य: कंप्यूट किराये पर लेना तब तक सस्ता था जब तक बाज़ार पलट नहीं गया — मूल ढाँचे में चिप खरीदने की लागत और जोखिम निजी कंपनियाँ उठाती थीं, और सरकार केवल उपयोग का भुगतान करती थी। क्रीमतेन दोगुनी होते ही पुरानी दरों में बँधे आपूर्तिकर्ताओं के पास देरी करने की हर वजह थी, और राज्य के पास अपनी कोई मशीन नहीं थी। एक सुविचारित निष्कर्ष मिश्रित मॉडल है: सार्वजनिक शोध और रणनीतिक ज़रूरतों के लिए एक मूल क्षमता अपने स्वामित्व में रखें और शेष किराये पर लें, ताकि करदाता तेज़ी से पुराने पड़ने वाले हार्डवेयर का बोझ न उठाएँ।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <p>2. <b>रुपया अब AI नीति का एक चर बन गया है</b> — GPU की कीमत डॉलर में तय होती है, इसलिए रुपये के ₹88 से ₹96-97 पर गिरने भर से लागत लगभग दसवें हिस्से के बराबर बढ़ जाती है। रुपये में तय परिव्यय से हर वर्ष कम कंप्यूट मिलता है, और इसी कारण अधिकारी प्रथम चरण की निधि खपाने के लिए “गति बढ़ाने” की बात करते हैं।</p> <p>3. <b>स्वैच्छिक सुरक्षा प्रतिज्ञाएँ और गायब चिप्स AI शासन के दो पहलू हैं</b> — द हिंदू के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और छह टेक प्रमुखों ने स्वैच्छिक “व्हाइट हाउस अकाउंट ऑन सुपर इंटेलिजेंस” पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें आंतरिक निगरानी, स्वतंत्र बाहरी मूल्यांकन और बोर्ड-स्तरीय पर्यवेक्षण की प्रतिज्ञा है; विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी उपयोगिता इस पर निर्भर करेगी कि कंपनियाँ ऐसे निष्कर्षों पर अमल करती हैं या नहीं जो किसी उत्पाद के लॉन्च में देरी कराएँ। अग्रणी शक्तियाँ AI की निगरानी पर बहस कर रही हैं, जबकि भारत उसे पाने के लिए जुझ रहा है। जब तक भारत सुरक्षा नियमों और कंप्यूट की योजना साथ-साथ नहीं बनाता, वह चिप्स और नियम, दोनों आयात करेगा।</p> |
| संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)                             | भारत की AI महत्वाकांक्षाओं को अब प्रतिभा से अधिक कंप्यूट तक पहुँच सीमित कर रही है। इंडियाएआई मिशन के पुनर्निर्धारण के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)   | <p>1. <b>निर्देश</b> — परीक्षण कीजिए — कमी के कारणों की पड़ताल कीजिए और नए मॉडल का मूल्यांकन कीजिए।</p> <p>2. <b>भूमिका</b> — कीमतें दोगुनी होने के बाद वादा किए गए 45,000 में से 30,000 GPU उपलब्ध — मिशन और उसके कंप्यूट स्तंभ का नाम लीजिए।</p> <p>3. <b>मुख्य भाग</b> — आयातित चिप्स, कमजोर रुपया और आपूर्तिकर्ता की चूक किराये के मॉडल को अटका देते हैं — मूल्यवर्धन: H200 लगभग \$20,000 से \$40,000 से अधिक; साइप्रसूचर ने 1,100 में से लगभग 160 दिए।</p> <p>4. <b>मुख्य भाग</b> — C-DAC के स्वामित्व वाली मूल क्षमता नियंत्रण देती है, पर तेज़ी से पुराने होते हार्डवेयर का जोखिम भी लाती है — फ्लोचार्ट बनाइए: चिप-कीमत और रुपये का झटका → आपूर्तिकर्ता की चूक → पुनः बोली और सीधी खरीद → स्टार्टअप के लिए पहुँच।</p> <p>5. <b>मुख्य भाग</b> — कंप्यूट और सुरक्षा शासन को साथ-साथ चलना होगा — अमेरिका की स्वैच्छिक सुरक्षा प्रतिज्ञाओं से तुलना कीजिए।</p> <p>6. <b>निष्कर्ष</b> — रणनीतिक मूल क्षमता अपने पास रखें, शेष किराये पर लें, बजट को डॉलर से जोड़ें — दीर्घकाल में: घरेलू चिप डिज़ाइन।</p> |
| प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH) | <p>प्रश्न 1. मिशन के सीईओ के रूप में, एक स्टार्टअप कहता है कि उसे वादा किए गए GPU घंटे नहीं मिल पा रहे। आप क्या करेंगे?</p> <p><b>दृष्टिकोण (Approach):</b> मैं हर आवेदक के लिए आवंटित, प्रदत्त और लंबित GPU घंटों की कतार प्रकाशित करूँगा, ताकि देरी दिखाई दे और विवेकाधीन न रहे। जो आपूर्तिकर्ता आपूर्ति से चूकें, उन पर सूचीबद्धता के दंड लगाने चाहिए और उनके आवंटन के लिए शीघ्र दोबारा बोली होनी चाहिए। नई क्षमता आने तक सार्वजनिक हित की परियोजनाओं और उन शुरुआती चरण की कंपनियों को प्राथमिकता मिले जो विदेश से कंप्यूट नहीं खरीद सकतीं। और मैं स्टार्टअप को कोई वादा नहीं, एक वास्तविक तारीख दूँगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 7. समाज (Society)

जातिगत अपमान गाँव के चौपाल से निकलकर फ़ोन की स्क्रीन तक पहुँच गया है, और 1989 में बने कानून से अपेक्षा की जा रही है कि वह उसके पीछे-पीछे चले। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि उसे चलना ही होगा, और यह निर्णय उस समय आया है जब कुछ ही सप्ताह पहले सर्वोच्च न्यायालय ने चेताया था कि हर जातिसूचक टिप्पणी अपराध नहीं होती। असली कसौटी यह है कि क्या पुलिस ऑनलाइन गाली देने वाले का पता लगा पाती है।

### 7.1 कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय: फ़ेसबुक पर जातिसूचक गालियाँ अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत “लोक दृष्टि के भीतर” आती हैं

**मुद्दा** SC/ST (Prevention of Atrocities) Act (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** परंपरा और सामाजिक न्याय • स्वतंत्रता और व्यवस्था

अब तक की कहानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 [SC/ST (Prevention of Atrocities) Act] जातिगत अपमान को तभी दंडनीय मानता है जब वह “लोक दृष्टि के भीतर” (within public view) हुआ हो। न्यायालयों ने इसका अर्थ ऐसा स्थान माना है जहाँ जनता देख या सुन सकती हो।

**समाचार (THE NEWS)** कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायमूर्ति उदय कुमार ने निर्णय दिया है कि सोशल मीडिया पर की गई जातिसूचक गालियों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 लागू हो सकता है, क्योंकि धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के अंतर्गत “लोक दृष्टि” “भौतिक स्थान की सीमा लाँघकर डिजिटल क्षेत्र में पहुँच जाती है” (द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट)। अनुसूचित जाति के शिकायतकर्ता का कहना था कि सामान्य जाति समुदायों के दो व्यक्तियों ने फ़ेसबुक पर उसके विरुद्ध जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग किया। पुलिस ने क्लोज़र रिपोर्ट (यानी यह बताने वाली रिपोर्ट कि मुकदमा चलाने योग्य कोई मामला नहीं है) दाखिल कर दी, क्योंकि फ़ेसबुक ने उपयोगकर्ता का विवरण उपलब्ध नहीं कराया था। उच्च न्यायालय ने उस विशेष अदालत के आदेश को “विकृत” (perverse) बताकर रद्द कर दिया जिसने इस क्लोज़र को सही ठहराया था। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के कुछ ही सप्ताह बाद आया है जिसमें Ramkrishna Chauhan v. State of Uttar Pradesh में न्यायालय ने एक विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध स्कूल परिसर के भीतर की गई टिप्पणियों पर चल रही कार्यवाही रद्द कर दी थी। पाठ्यक्रम से संबंध: GS2 के अंतर्गत सुभेद्य वर्गों का संरक्षण।

**एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)**

अनुच्छेद 17 के बावजूद जातिगत अपमान जारी → 1989 का अधिनियम “लोक दृष्टि के भीतर” किए गए अपमान को दंडित करता है → न्यायालयों ने इसका अर्थ वह स्थान माना जहाँ जनता देख या सुन सके → गाली-गलौज फ़ेसबुक पर पहुँची → कलकत्ता उच्च न्यायालय ने “लोक दृष्टि” का विस्तार डिजिटल क्षेत्र तक किया

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध  
(STATIC SYLLABUS  
LINKAGE)

1. अत्याचार निवारण अधिनियम जातिगत अपमान को केवल “लोक दृष्टि के भीतर” होने पर दंडित करता है — अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुच्छेद 17 को, जो अस्पृश्यता का अंत करता है, और अनुच्छेद 46 को, जो राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सामाजिक अन्याय से बचाने का निर्देश देता है, प्रभावी बनाता है। धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को “लोक दृष्टि के भीतर किसी भी स्थान पर” जाति का नाम लेकर जानबूझकर अपमानित करने, धमकाने या गाली देने को दंडनीय बनाती हैं। 2015 के संशोधन ने अपराधों का दायरा बढ़ाया और अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive Special Courts) की स्थापना अनिवार्य की।

2. संसद ने 2018 में न्यायालय के निर्णय को पलटकर अधिनियम की धार बहाल की — Subhash Kashinath Mahajan (मार्च 2018) में FIR से पहले प्रारंभिक जाँच और गिरफ्तारी से पहले अनुमोदन अनिवार्य किया गया था; संसद ने धारा 18A जोड़कर इसे पलट दिया: न कोई प्रारंभिक जाँच, न पूर्व अनुमोदन, न अग्रिम जमानत। Prathvi Raj Chauhan v. Union of India (फ़रवरी 2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे वैध ठहराया और अग्रिम जमानत केवल तब स्वीकार्य मानी जब प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता ही न हो (Supreme Court Observer के अनुसार)।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. डिजिटल समाज में जाति GS1 और GS2 के लिए स्वाभाविक प्रश्न है — GS1 के पाठ्यक्रम में “भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ” हैं; GS2 में “इन सुभेद्य वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय” शामिल हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य  
(PRELIMS NUGGETS)

- अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के अंतर्गत जातिगत अपमान या गाली “लोक दृष्टि के भीतर किसी भी स्थान पर” होना आवश्यक है; अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाता है।
- अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 18A (2018) FIR से पहले प्रारंभिक जाँच और अग्रिम जमानत पर रोक लगाती है; Prathvi Raj Chauhan (2020) में इसे वैध ठहराया गया।
- Swaran Singh v. State (2008) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी स्थान, जैसे घर के

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | बाहर का लॉन जो जनता को दिखाई देता हो, भी “लोक दृष्टि के भीतर” माना जा सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| विश्लेषण (ANALYSIS)                                                                | <p>1. कसौटी सदा दृश्यता रही है, भूगोल नहीं, इसलिए कलकत्ता का पाठ विच्छेद नहीं, विस्तार है — न्यायालयों ने यह देखा कि क्या जनता अपमान की साक्षी बन सकती थी, यह नहीं कि स्थान किसका था। सड़क से दिखने वाला निजी लॉन भी इस कसौटी पर खरा उतरा है। जिस फ़ेसबुक पोस्ट को दूसरे लोग पढ़ सकते हैं, वह बंद कमरे की टिप्पणी की तुलना में इस कसौटी को कहीं बेहतर ढंग से पूरा करती है; केरल उच्च न्यायालय ने 2022 में इस अधिनियम को “चलता रहने वाला कानून” (ongoing statute) कहा था, जिसे तकनीकी बदलाव के साथ पढ़ा जाना चाहिए।</p> <p>2. लेंस — परंपरा और सामाजिक न्याय: जातिगत अपमान को दर्शक चाहिए, और सोशल मीडिया बड़े पैमाने पर दर्शक जुटा देता है — जातिगत गाली की चोट दूसरों के सामने अपमानित होने में है; ऑनलाइन गाली अधिक साक्षियों तक पहुँचती है और देर तक टिकी रहती है, इसलिए गरिमा को लगी चोट अक्सर और गहरी होती है। एक विवेकशील अधिकारी सार्वजनिक पोस्ट को नया गाँव का चौपाल मानेगा। इसके विपरीत मत, जो सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूल वाले मामले में व्यक्त किया, यह है कि न्यायालयों को प्रत्येक तत्व को कठोरता से जाँचना चाहिए, इसलिए निजी संदेश को इसमें नहीं गिना जाना चाहिए।</p> <p>3. सबसे कमज़ोर कड़ी व्याख्या नहीं, अन्वेषण है — यह मामला लगभग समाप्त हो ही गया था, क्योंकि मंच ने उपयोगकर्ता का विवरण साझा नहीं किया। जब तक प्रशिक्षित साइबर प्रकोष्ठ नहीं होंगे जो मध्यस्थों (intermediaries) को सहयोग के लिए बाध्य करने वाले वैधानिक माध्यमों का उपयोग करें, तब तक पीड़ित कानून की दृष्टि से जीतकर भी तथ्यों के स्तर पर हार जाएगा।</p> |
| संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)                             | क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत “लोक दृष्टि” की अपेक्षा का विस्तार सोशल मीडिया तक होना चाहिए? टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)   | <p>1. निर्देश — टिप्पणी कीजिए — तर्कसंगत राय दीजिए, और एक सीमा अवश्य बताइए।</p> <p>2. भूमिका — अधिनियम जातिगत अपमान को केवल “लोक दृष्टि के भीतर” दंडित करता है — कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कीजिए।</p> <p>3. मुख्य भाग — कसौटी सदा दृश्यता रही है, भौतिक स्थान नहीं — मूल्य-वर्धन: Hitesh Verma (2020) — जहाँ जनता देख या सुन सके।</p> <p>4. मुख्य भाग — सीमा यह है कि निजी संदेश और अप्रमाणित आशय इसके बाहर ही रहें — Ramkrishna Chauhan: प्रत्येक तत्व की कठोर जाँच होती है।</p> <p>5. मुख्य भाग — प्रवर्तन अभियुक्त का पता लगाने में विफल होता है — फ़्लोचार्ट: पोस्ट → शिकायत → मंच से डेटा का अनुरोध → पहचान → विशेष न्यायालय।</p> <p>6. निष्कर्ष — व्याख्या का विस्तार कीजिए, पर साइबर अन्वेषण की क्षमता भी बनाइए — अनुच्छेद 17 की गरिमा को दोनों की आवश्यकता है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH) | <p>प्रश्न 1. पुलिस अधीक्षक के रूप में आप पाते हैं कि फ़ेसबुक पर जातिगत गाली की एक शिकायत इसलिए बंद कर दी गई क्योंकि मंच ने उत्तर नहीं दिया। आप क्या करेंगे?</p> <p><b>दृष्टिकोण (Approach):</b> मैं जाँच दोबारा खुलवाऊँगा: मंच की चुप्पी प्रयास की विफलता है, साक्ष्य की नहीं। साइबर प्रकोष्ठ मध्यस्थ को वैधानिक अनुरोध भेजेगा और साक्ष्य सुरक्षित रखेगा। मैं अधिकारियों को उच्च न्यायालय के निर्णय की जानकारी दूँगा और इसी तरह बंद किए गए अन्य मामलों की समीक्षा कराऊँगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

### केस 1 — अभियुक्त का कॉलम खाली छोड़ा गया, और फ़ाइल की समीक्षा करने वाला पुलिस अधीक्षक

**परिदृश्य (SCENARIO)** सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है कि उसने छेड़छाड़ का मामला “अज्ञात व्यक्ति” के विरुद्ध दर्ज किया, जबकि अभियुक्त मौके पर पकड़ा जाकर पुलिस को सौंपा जा चुका था (द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, 1 अक्टूबर)। शिकायतकर्ता का कहना है कि अभियुक्त का कॉलम खाली छोड़ दिया गया, वाहन-चालक का नाम तभी जोड़ा गया जब उच्च न्यायालय ने स्थिति रिपोर्ट मांगी, फिर उसे क्लीन चिट दे दी गई, और उसकी बाइक, जो बिना नंबर प्लेट के ज़ब्त की गई थी, बाद में पंजीकरण संख्या के साथ दिखाई दी। पीठ ने पूछा, “यदि आप ऐसे काम करेंगे तो लोग आप पर भरोसा कैसे करेंगे?” कल्पना कीजिए कि आप पुलिस अधीक्षक हैं। आपके ज़िले के एक थाने में ऐसी ही शिकायत पहुँचती है। थाना प्रभारी (SHO) कहता है कि पकड़ा गया व्यक्ति स्थानीय रूप से प्रभावशाली है, और एक सर्कल अधिकारी सलाह देता है कि अभी “अज्ञात” लिख दिया जाए और “सत्यापन” के बाद नाम जोड़ दिया जाए।

**प्रश्न 1.** क्या किसी नामजद, पकड़े गए संदिग्ध को FIR से बाहर रखना पुलिस का विवेकाधिकार है या कर्तव्य का उल्लंघन? नैतिक और कानूनी पहलुओं का परीक्षण कीजिए।

**प्रश्न 2.** आप थाना प्रभारी और सर्कल अधिकारी से, तथा पहले से दर्ज की जा चुकी फ़ाइल के साथ, कैसे निपटेंगे?

**प्रश्न 3.** आपके ज़िले में ऐसी चूँके दोबारा न हों, इसके लिए कौन-से व्यवस्थागत सुरक्षा उपाय अपनाएँगे?

#### आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- FIR शिकायतकर्ता ने जो कहा उसका सार्वजनिक अभिलेख है, उस पर पुलिस की राय नहीं** — संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली शिकायत जैसी कही गई वैसी ही दर्ज की जानी चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय का Lalita Kumari निर्णय (2013) ऐसे मामलों में प्रारंभिक जाँच के बिना पंजीकरण अनिवार्य करता है। संदिग्ध के बारे में संदेह अन्वेषण का विषय है, पहले अभिलेख का नहीं। खाली कॉलम FIR को पीड़ित का नहीं, पुलिस का औज़ार बना देता है।
- शक्तिशाली संदिग्ध का दबाव अधिक दर्ज करने का कारण है, कम दर्ज करने का नहीं** — तुरंत सही प्रविष्टि का आदेश दीजिए, और लिखित रूप में दर्ज कीजिए कि फ़ाइल की समीक्षा क्यों की गई। पूछिए कि कागज़ पर बाइक की पहचान कैसे बदल गई। न्यायालय के पूछने के बाद तथ्य सुधारना भावना में साक्ष्य से छेड़छाड़ है, और चुप रहना मुझे उसमें भागीदार बना देगा।
- जवाबदेही सिपाही पर रुकनी नहीं चाहिए, पर्यवेक्षक तक पहुँचनी चाहिए** — निष्पक्ष जाँच थाना प्रभारी और सर्कल अधिकारी, दोनों का पक्ष सुनती है, और अनुशासनात्मक कार्रवाई तथ्यों के अनुसार होती है। मेरा अपना पर्यवेक्षण भी कसौटी पर है। शिकायत की प्रतियों से FIR का औचक मिलान और छेड़छाड़-रोधी (tamper-evident) प्रविष्टि लॉग से चूकों का पता लगाया जा सकता है।
- निष्कर्ष** — जनविश्वास ही पुलिस का एकमात्र वास्तविक अधिकार है — जनविश्वास तब बढ़ता है जब नागरिक देखती है कि उसके शब्द ईमानदारी से लिखे गए, तब भी जब अभियुक्त शक्तिशाली हो।

### केस 2 — वह वन अधिकारी, जिससे सड़क के लिए मंजूरी भी दिलानी है और भुगतान भी करना है

**परिदृश्य (SCENARIO)** बिहार के वन विभाग ने सड़क निर्माण विभाग (RCD) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) किया है, जिसके तहत मुंगेर के गंगटा वन से गुज़रने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 333 के 10.5 किमी हिस्से को दो लेन का चौड़ा किया जाना है। द इंडियन एक्सप्रेस (1 अक्टूबर) के अनुसार, खंड 4.2 वन विभाग से वन मंजूरी पाने में “हर संभव सहयोग” देने को कहता है, खंड 4.3 भूमि उपलब्ध कराने में मदद को, और मुंगेर के प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) ठेकेदार को भुगतान करेंगे। परियोजना को भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य से 2.1 हेक्टेयर चाहिए, जिसकी मंजूरी के आवेदन अप्रैल 2023 और फ़रवरी 2024 से लंबित हैं। हितों के टकराव के बारे में पूछे जाने पर विभाग के प्रमुख ने कहा कि MoU “वापस लिया जा रहा है”। कल्पना कीजिए कि आप मुंगेर के DFO हैं। औपचारिक वापसी होने तक आपको एक लिखित आदेश मिलता है कि बिलों का भुगतान-प्रसंस्करण शुरू करें और फ़ाइल को तेज़ी से आगे बढ़ाएँ।

**प्रश्न 1.** हितों के टकराव की पहचान कीजिए। एक ही अधिकारी का मूल्यांकनकर्ता और भुगतानकर्ता दोनों होना नैतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है?

**प्रश्न 2.** MoU की वापसी से पहले, उसके दौरान और उसके बाद आप क्या करेंगे?

**प्रश्न 3.** क्या राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताएँ नियामक और निष्पादक के बीच की रेखा को धुँधला करने को उचित ठहरा सकती हैं?

#### आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- नियामक उसी चीज़ का प्रस्तावक नहीं हो सकता जिसे वह नियंत्रित करता है** — DFO मंजूरी के आवेदन का प्रारंभिक क्षेत्रीय मूल्यांकन करता है, और MoU उसे परियोजना का भुगतानकर्ता भी बना देता है तथा उसके विभाग को “निष्पादन की जिम्मेदारी” देता है। उसकी मंशा चाहे जो हो, उसके मूल्यांकन पर जनता, न्यायालय और वह अभयारण्य, जिसकी रक्षा की उसने शपथ ली है, अब भरोसा नहीं कर सकते।

2. **विधिसम्मत आदेश मानिए, पर आपत्ति लिखिए और भूमिकाएँ अलग कीजिए** — फ़ाइल पर टिप्पणी लिखकर हितों के टकराव का उल्लेख कीजिए और लिखित स्पष्टीकरण माँगिए। केवल उन्हीं कार्यों को निपटाने की पेशकश कीजिए जिनका मंजूरी से संबंध नहीं है, और अनुरोध कीजिए कि मूल्यांकन किसी अन्य अधिकारी को सौंपा जाए। चुपचाप मान लेना और खुली अवज्ञा, दोनों ही खराब उत्तर हैं।
3. **विकास वैध है, पर सुरक्षा-उपाय ही उसे वैध बनाता है** — सड़क निवासियों के काम आती है, और देरी की कीमत होती है। फिर भी जो मंजूरी पर्यावरण मंत्रालय के परिवेश (Parivesh) पोर्टल या न्यायालय में टिक न सके, वह सड़क को और अधिक विलंबित करती है। गति पूरी फ़ाइलों से आती है, दोहरी भूमिकाओं से नहीं।
4. **निष्कर्ष** — सबसे साफ़ समाधान संरचनात्मक है — RCD अपनी मंजूरियाँ स्वयं माँगे और उनका खर्च स्वयं वहन करे, और वन कर्मचारी केवल मूल्यांकन और निगरानी तक सीमित रहें।

## 10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तय सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

| विषय (TOPIC)                                                                                      | परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 — विलंबित पंजीकरण का आदेश कौन दे सकता है           | यह अधिनियम जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 [Registration of Births and Deaths Act] की धारा 13 में संशोधन करता है और 1 अक्टूबर से लागू हो गया है (गृह मंत्रालय; AIR)। एक से दो वर्ष की देरी के मामले में आदेश जिला मजिस्ट्रेट, उप-खंड मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट सत्यापन और शुल्क के बाद देता है; दो वर्ष से अधिक की देरी में केवल प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट ही आदेश दे सकता है। टिप्पणीकारों में मतभेद है कि इससे शक्ति न्यायालयों से कार्यपालिका के पास जाती है या सबसे लंबी देरी के लिए बाधा ऊँची होती है।                                                         |
| रियायती LPG — 1 अक्टूबर से बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण; उज्ज्वला सब्सिडी जारी                     | 1 अक्टूबर से रियायती मूल्य पर घरेलू LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है, ताकि वाणिज्यिक उपयोग की ओर होने वाले दुरुपयोग को रोका जा सके और दोहरे कनेक्शन हटाए जा सकें (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, AIR के अनुसार)। अलग से, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को प्रति 14.2 किलो सिलिंडर ₹300 की लक्षित सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया (इंडियन एक्सप्रेस, 30 सितंबर)।                                                                                                                                  |
| राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण — जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और त्रिस्तरीय संरचना                | चेन्नई में मुख्यालय वाले और 2003 में स्थापित NBA ने 1 अक्टूबर को अपना 23वाँ स्थापना दिवस मनाया (PIB)। यह जैविक विविधता अधिनियम, 2002 [Biological Diversity Act] का राष्ट्रीय स्तर है, जिसके नीचे राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ हैं। अधिनियम में पहुँच और लाभ-साझाकरण (Access and Benefit Sharing, ABS) का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत जैविक संसाधनों के उपयोगकर्ता प्रदाताओं के साथ लाभ बाँटते हैं।                                                                                                                                         |
| संगोल पर NCERT की कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक — एक औपचारिक राजदंड और एक विवादित दावा                   | कक्षा 9 की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक “Understanding Society: India and Beyond - Part Two” कहती है कि जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को तमिलनाडु के अधीनम संतों से संगोल ग्रहण किया, जो सत्ता के “सभ्यतागत जड़ों वाले” हस्तांतरण का प्रतीक था; राजमोहन गांधी जैसे इतिहासकारों ने कहा है कि सत्ता हस्तांतरण के औपचारिक प्रतीक के रूप में इसका कोई अभिलेख नहीं मिलता (द हिंदू, 1 अक्टूबर)। संगोल को 2023 में नए संसद भवन में स्थापित किया गया था।                                                                                                                              |
| भारत में पुलिस की स्थिति रिपोर्ट 2026 — लोकनीति-CSDS और कॉमन कॉज द्वारा प्रकाशित                  | यह रिपोर्ट लोकनीति-CSDS और कॉमन कॉज का संयुक्त अध्ययन है (द हिंदू, 1 अक्टूबर)। इसके अनुसार साइबर अपराध के 63 प्रतिशत पीड़ित अपनी शिकायतों से निपटने के पुलिस के तरीके से असंतुष्ट रहते हैं, और शिकायत के हेल्पलाइन से जाँच तक पहुँचने के साथ संतुष्टि घटती जाती है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| निर्यात-आयात विनियम 2026 — FEMA, 1999 के अंतर्गत RBI का संशोधित ढाँचा, 1 अक्टूबर से               | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 [Foreign Exchange Management Act, FEMA] के अंतर्गत जारी संशोधित विनियम पहली बार सेवा व्यापार को, सॉफ्टवेयर और वस्तुओं के साथ, RBI के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज करते हैं (द इकोनॉमिक टाइम्स, 1 अक्टूबर)। विदेशी विक्रेताओं को सेवाओं के लिए कार्ड भुगतान आयात माना जाएगा। उदारीकृत प्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme, LRS) अलग से किसी निवासी व्यक्ति को प्रति वर्ष \$250,000 तक भेजने की अनुमति देती है।                                                                                                          |
| RoDTEP और RoSCTL — निर्यात कर-वापसी योजनाएँ 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गईं                           | 30 सितंबर के आदेशों ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छुट (Remission of Duties and Taxes on Exported Products, RoDTEP, वाणिज्य मंत्रालय) तथा राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की वापसी (Rebate of State and Central Taxes and Levies, RoSCTL, वस्त्र मंत्रालय, परिधानों और मेड-अप्स के लिए) को दरों में बिना किसी बदलाव के 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया (द हिंदू, 1 अक्टूबर)। दोनों उन अंतर्निहित करों को लौटाती हैं जिनकी अन्यथा वापसी नहीं होती; RoSCTL 7 मार्च 2019 को शुरू हुई थी (PIB)।                                                                                             |
| 5G नेटवर्क स्लाइसिंग पर TRAI का प्रारूप — TRAI अधिनियम, 1997 के अंतर्गत दूरसंचार गुणवत्ता विनियमन | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI), जो TRAI अधिनियम, 1997 के अंतर्गत एक सांविधिक नियामक है, ने अपने एक्सेस और ब्रॉडबैंड सेवा की सेवा-गुणवत्ता मानक विनियम, 2024 में संशोधन का प्रारूप प्रस्तावित किया है, जिसमें 5G नेटवर्क स्लाइसिंग, कवरेज-मानचित्र की सटीकता और वित्तीय हतोत्साहन शामिल हैं। नेटवर्क स्लाइसिंग एक ही 5G नेटवर्क पर अलग-अलग आभासी नेटवर्क बनाती है; 30 सितंबर की खुली बैठक में उपभोक्ता समूहों ने प्रस्तावित 80% उपयोग-सीमा का समर्थन किया जबकि दूरसंचार कंपनियों ने आपत्ति जताई, और कुछ समूहों ने नेट न्यूट्रैलिटी का हवाला दिया (द इकोनॉमिक टाइम्स, 1 अक्टूबर)। |
| कार्डिफ़ MoU, 14 सितंबर — तीन हस्तांतरित-शासन वाले प्रथम मंत्रियों का राजनीतिक वक्तव्य, संधि नहीं | स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के प्रथम मंत्रियों (First Ministers) ने कार्डिफ़ में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर कर यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता घोषित की; यह कोई कानूनी या बहुपक्षीय संधि नहीं है (द हिंदू, 1 अक्टूबर)। शक्ति-हस्तांतरण (devolution) 1990 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुआ, और स्कॉटिश संसद की स्थापना 1997 के जनमत संग्रह के बाद 1999 में हुई।                                                                                                                                                                                     |

| विषय (TOPIC)                                                                                                                                    | परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गुड फ्राइडे समझौता, 1998 — उत्तरी आयरलैंड में सहमतिमूलक सत्ता-साझेदारी                                                                          | उत्तरी आयरलैंड का शासन 1998 के गुड फ्राइडे समझौते में निर्धारित सत्ता-साझेदारी व्यवस्था से चलता है, जिसे सहमतिमूलकता (consociationalism) कहा जाता है; राष्ट्रवादी और संघवादी गुटों को सत्ता साझा करनी होती है, और प्रथम मंत्री सबसे बड़े गुट की सबसे बड़ी पार्टी से होता है। आयरिश एकता पर सीमा-जनमत संग्रह (border poll) केवल उत्तरी आयरलैंड के राज्य सचिव ही बुला सकते हैं (द हिंदू, 1 अक्टूबर)।                                                    |
| राजकोषीय घाटा — FRBM अधिनियम, 2003 का ढाँचा                                                                                                     | राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 [Fiscal Responsibility and Budget Management Act] केंद्र के घाटा-लक्ष्यों का कानूनी ढाँचा तय करता है; राजकोषीय घाटा कुल व्यय में से उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों को घटाने पर प्राप्त होता है। इस वित्त वर्ष के लिए केंद्र का लक्ष्य GDP का 4.3 प्रतिशत, यानी ₹16.96 लाख करोड़ है (द इकोनॉमिक टाइम्स, 1 अक्टूबर)।                                                                                |
| UPSC की शताब्दी — 1 अक्टूबर 1926 का लोक सेवा आयोग                                                                                               | पहला लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित हुआ, जो 1924 के ली आयोग और भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद आया; प्रधानमंत्री को 1 अक्टूबर को इसके शताब्दी समारोह में शामिल होना था (इंडियन एक्सप्रेस)। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग बना, और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संवैधानिक निकाय बना; संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 लोक सेवा आयोगों को शासित करते हैं।                                                      |
| अनुच्छेद 317 — लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाना                                                                                       | अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर तभी हटा सकता है जब राष्ट्रपति के संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय जाँच के बाद यह प्रतिवेदन दे कि उस व्यक्ति को हटाया जाना चाहिए। जब अभ्यर्थियों ने राज्य आयोग के अध्यक्ष को हटाने की माँग की, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसी का हवाला दिया (इंडियन एक्सप्रेस, 1 अक्टूबर)।                                                                                    |
| मिज़ो शांति समझौता, 1986 — और 23वें राज्य के रूप में मिज़ोरम                                                                                    | 1986 के एक समझौते ने मिज़ोरम में उग्रवाद का अंत किया, और मिज़ोरम 20 फ़रवरी 1987 को भारत का 23वाँ राज्य बना (द इकोनॉमिक टाइम्स, 1 अक्टूबर)। अनुच्छेद 371G मिज़ोरम के लिए विशेष उपबंध करता है।                                                                                                                                                                                                                                                          |
| राज्य सभा चुनाव — एकल संक्रमणीय मत, और “37 विधायकों” के पीछे का कोटा                                                                            | अनुच्छेद 80(4) के अंतर्गत राज्यों के प्रतिनिधि राज्य सभा में विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं। 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की दस सीटों के लिए एक प्रत्याशी को चुनने में 37 विधायक चाहिए (द इकोनॉमिक टाइम्स, 1 अक्टूबर); कोटा वैध मतों की संख्या को सीटों से एक अधिक की संख्या से भाग देकर, उसमें एक जोड़कर और भिन्नों को छोड़कर निकाला जाता है। |
| भारत की पर्वतीय रेलवे — दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, 1881 में आरंभ                                                                                 | 1881 में आरंभ हुई दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल “भारत की पर्वतीय रेलवे” का हिस्सा बनी (द इकोनॉमिक टाइम्स, 1 अक्टूबर)। बाद में इस स्थल का विस्तार नीलगिरि और कालका-शिमला रेलवे को जोड़कर किया गया।                                                                                                                                                                                                                       |
| भारत और आर्कटिक — 2013 से पर्यवेक्षक का दर्जा, आर्कटिक नीति 2022 और हिमाद्रि                                                                    | भारत 2013 से आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक है, उसने 2022 में अपनी आर्कटिक नीति प्रकाशित की, और वह स्वालबार्ड में हिमाद्रि अनुसंधान केंद्र का संचालन करता है (द हिंदू, 1 अक्टूबर)। 1996 में गठित आर्कटिक परिषद के आठ आर्कटिक राज्य सदस्य हैं, जिनमें आइसलैंड भी है।                                                                                                                                                                                      |
| राष्ट्रीय आदर्श वाक्य और सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य — दो भिन्न स्रोत                                                                      | भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य “सत्यमेव जयते” मुंडक उपनिषद से है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य “यतो धर्मस्ततो जयः” (“जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है”) महाभारत से है (द हिंदू, 1 अक्टूबर, NCERT की नई कक्षा 9 की पुस्तक के संदर्भ में)।                                                                                                                                                                                                            |
| हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 — वे नियम जिनका राष्ट्रीय सफ़ाई कर्मचारी आयोग ने हवाला दिया | सांताक्रूज़ में सीवर में हुई मृत्यु पर राष्ट्रीय सफ़ाई कर्मचारी आयोग (NCSK) ने मुंबई उपनगर के कलेक्टर से हाथ से मैला ढोने संबंधी नियम, 2013 के अंतर्गत कार्रवाई करने को कहा (इंडियन एक्सप्रेस, 1 अक्टूबर)। 2013 का अधिनियम सीवर और सैप्टिक टैंक की खतरनाक सफ़ाई तथा अस्वच्छ शौचालयों के लिए लोगों को नियोजित करना प्रतिबंधित करता है, और हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास का प्रावधान करता है।                                                      |

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द हिंदू (दिल्ली), द इंडियन एक्सप्रेस (मुंबई) और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली) — 1 अक्टूबर 2026 से ली गई है, जहाँ संकेतित है वहाँ आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरक। तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

## 11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

रोज़ का वह हिस्सा जो अखबार नहीं देते: एक पूरा लिखा आदर्श उत्तर, GS1 का एक स्थायी विषय, मानचित्र अभ्यास, GS4 का एक सैद्धांतिक शब्द और CSAT का अभ्यास।

### 11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 2.2 (10 अंक, 150 शब्द)

“भारत में श्रम सुधार का निर्णय संसद में कम, राज्यों की नियम-निर्माण प्रक्रिया में अधिक होता है।” टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

**भूमिका** — चार श्रम संहिताएँ 29 केंद्रीय कानूनों की जगह 21 नवंबर 2025 से लागू हुईं। पर श्रम समवर्ती विषय है; अधिकांश प्रतिष्ठानों में नियम बनाने वाली “समुचित सरकार” राज्य है।

- नियम संहिता को हक बनाते हैं** — पंजीकरण, निरीक्षण, छुट्टी और सीमाएँ कारखाने तक नियमों से ही पहुँचती हैं। दस महीने बाद केवल 10 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने कोई नियम अधिसूचित किए; सामाजिक सुरक्षा संहिता के केवल आठ ने।
- देरी से दो व्यवस्थाएँ चलती हैं** — महाराष्ट्र का दुकान अधिनियम 45 दिन की संचित छुट्टी देता है, संहिताएँ 30 की; हरियाणा अलग पंजीकरण माँगता।
- ढाँचा अब भी संसद ही तय करती है** — उसने साझा आधार तय किया, गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा समेत; अनुच्छेद 254 से विरोधी राज्य कानून पर केंद्रीय कानून प्रभावी रहता है।

**निष्कर्ष** — कथन क्रियान्वयन पर सही है, डिज़ाइन पर नहीं। आगे: आदर्श नियम, समय-सीमा, परामर्श; साझा संरक्षण-आधार, प्रक्रिया में राज्यों को छूट।

**यह बनाइए:** दूसरे बिंदु के बगल में प्रवाह-चित्र: संहिता → समुचित सरकार → नियम → श्रमिक, साथ में प्रत्येक संहिता के अंतर्गत अधिसूचित करने वाले राज्यों की संख्या (OSH 10, मजदूरी 9, औद्योगिक संबंध 9, सामाजिक सुरक्षा 8)।

(141 शब्द)

### 11.2 GS1 कोना — इतिहास: लोक सेवा आयोग के सौ वर्ष: ली आयोग से अनुच्छेद 315 तक

**आज का संदर्भ:** IE p1

- भारतीयकरण की माँग से पहला आयोग बना** — भारत सरकार अधिनियम, 1919 (Government of India Act, 1919) में पहली बार इसका प्रावधान हुआ। लॉर्ड ली ऑफ फेयरहैम की अध्यक्षता वाले उच्च सिविल सेवाओं पर शाही आयोग ने, जिसमें भारतीय और ब्रिटिश सदस्य बराबर थे, 1924 में इसकी सिफारिश की। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बार्कर के नेतृत्व में हुई।
- 1935 के अधिनियम ने इसे संघीय निकाय बनाया** — भारत सरकार अधिनियम, 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। स्वतंत्रता के बाद यह संघ लोक सेवा आयोग बना और 26 जनवरी 1950 को इसे संवैधानिक दर्जा मिला।
- संविधान इसकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है** — भाग XIV के अनुच्छेद 315-323 संघ और प्रत्येक राज्य के लिए आयोग का प्रावधान करते हैं। कदाचार के आधार पर हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की जाँच आवश्यक है; परीक्षाओं का संचालन इसका मूल कर्तव्य है।

**प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य**

- लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बार्कर के नेतृत्व में हुई थी।
- संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315-323 संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोगों से संबंधित हैं।
- अनुच्छेद 317 के तहत UPSC के किसी सदस्य को कदाचार के आधार पर केवल सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद हटाया जा सकता है; अनुच्छेद 320 में इसके कार्य बताए गए हैं।

### 11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें

| स्थान                | कहाँ है                                                                                                                                                     | समाचार में क्यों                                                                                        | प्रारंभिक तथ्य                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| बीड (Beed)           | महाराष्ट्र के मध्य में मराठवाड़ा, दक्कन के पठार पर; गोदावरी इसके उत्तरी छोर से बहती है, उत्तर में जालना और दक्षिण-पूर्व में लातूर है।                       | 265 तालुकों में सूखे के बीच गन्ना काटने वाले मजदूर मुकादमों के कर्ज में डूबकर महीनों पहले लौट आए (3.2)। | बीड, शेष मराठवाड़ा की तरह, 1948 तक निज़ाम की हैदराबाद रियासत का हिस्सा था।            |
| नंदुरबार (Nandurbar) | महाराष्ट्र का उत्तर-पश्चिमी कोना; पश्चिम और उत्तर में गुजरात, उत्तर-पूर्व में मध्य प्रदेश है; सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच नर्मदा इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। | एक और ज़िला जहाँ सूखे ने गन्ना कटाई करने वालों को समय से पहले लौटने पर मजबूर किया (3.2)।                | मुख्यतः जनजातीय ज़िला: अनुसूचित जनजातियाँ लगभग 69% आबादी हैं, जिनमें अधिकांश भील हैं। |

| स्थान                                                             | कहाँ है                                                                                                                        | समाचार में क्यों                                                                                                       | प्रारंभिक तथ्य                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भीमबांध (भीमबांध) वन्यजीव अभयारण्य (Bhimbandh Wildlife Sanctuary) | बिहार के मुंगेर ज़िले का दक्षिण-पश्चिमी भाग, गंगा के दक्षिण में खडगपुर की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे पर। | NH-333 के चौड़ीकरण के लिए इसकी 2.1 हेक्टेयर भूमि चाहिए; सड़क बनाने के लिए वन विभाग का MoU वापस लिया जा रहा है (IE p1)। | भीमबांध, सीता कुंड और ऋषि कुंड जैसे गर्म जल-स्रोतों के लिए प्रसिद्ध।                                        |
| लक्षद्वीप (Lakshadweep)                                           | केरल तट से दूर अरब सागर में प्रवाल द्वीप; नाव को इनसे लगभग 160 समुद्री मील उत्तर-पश्चिम में रोका गया।                          | ग्वादर से लदी ईरानी नाव से 526 किलो नशीले पदार्थ ज़ब्त (TH p10)।                                                       | नाइन डिग्री चैनल मिनिर्काय को मुख्य समूह से अलग करता है; एट डिग्री चैनल मिनिर्काय को मालदीव से अलग करता है। |

## 11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): हितों का टकराव (Conflict of interest)

**अर्थ** — हितों का टकराव तब होता है जब किसी अधिकारी का निजी या संस्थागत हित उसके सार्वजनिक कर्तव्य को अनुचित रूप से प्रभावित कर सके। इसके लिए प्रमाणित कदाचार आवश्यक नहीं; निर्णय के समझौतायुक्त दिखने भर से विश्वास घटता है। उपाय: प्रकटीकरण, स्वयं को अलग करना (recusal), भूमिकाओं का पृथक्करण।

**आज के समाचार में** — बिहार के जिस वन विभाग को भीमबांध अभयारण्य से गुज़रते राजमार्ग की वन स्वीकृति का आकलन करना है, उसी ने सड़क बनाने और उसका खर्च उठाने का MoU किया (केस 2)। 1.1 में, आलोचना को अवमानना मानने वाला सदन एक ही समय में आरोप लगाने वाला और न्यायाधीश बन जाता है।

**उत्तर में उपयोग** — जिन केस स्टडी में एक ही कार्यालय नियमन भी करे और क्रियान्वयन भी: नैतिक मुद्दों में इस टकराव का नाम लें, फिर कार्य-योजना में स्वयं को अलग करने या भूमिकाओं के पृथक्करण का सुझाव दें।

## 11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

नीचे का अनुच्छेद मौलिक है, आज के एक संपादकीय के विषय पर। पहले उत्तर स्वयं चुनें, फिर अंत में उत्तर-कुंजी देखें।

ऋण एक वादा है, जो आज का हमारा रूप कल के हमारे रूप की ओर से करता है। यह वादा समझदारी का है या नहीं, यह उसके आकार से कम और उसके उद्देश्य से अधिक तय होता है। मशीन खरीदने या दुकान खोलने के लिए लिया गया उधार भविष्य की आय बढ़ा सकता है और इस तरह अपना भुगतान स्वयं कर देता है। अस्पताल के बिल या किराये के लिए लिया गया उधार चुकाने लायक आय पैदा नहीं करता; वह आज की कमी को ब्याज समेत भविष्य में खिसका भर देता है।

इसी कारण, राष्ट्रीय आय के अनुपात में घरेलू ऋण का बढ़ना अकेले बहुत कुछ नहीं बताता। यही आँकड़ा घर बनाने में निवेश करते आत्मविश्वासी मध्यवर्ग का भी चित्र हो सकता है, और उन चिंतित परिवारों का भी जो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मज़दूरी खींच रहे हैं जिन्हें कभी सार्वजनिक सेवाएँ पूरा करती थीं। इस संख्या को समझने के लिए पूछना होगा कि कौन उधार ले रहा है, किसलिए, किससे और किस कीमत पर।

ऋण के नए रूपों ने इन प्रश्नों का उत्तर देना और कठिन कर दिया है। फ़ोन पर मिनटों में स्वीकृत होने वाले ऋण और भुगतान बाद में करने के प्रस्ताव उधार लेने की मेहनत घटा देते हैं। वे यह भेद भी धुंधला कर देते हैं कि परिवार क्या वहन कर सकता है और क्या केवल पा सकता है। वेतनभोगी कर्मचारी ऐसे ऋण को आराम से सँभाल सकता है; दिहाड़ी मज़दूर, जिसकी कमाई हर सप्ताह घटती-बढ़ती है, शायद न सँभाल पाए।

ऋण से पोषित खर्च कुछ समय के लिए अर्थव्यवस्था को ऊपर उठा सकता है, पर वह भविष्य से माँग उधार लेता है। बढ़ती आय से उपजी माँग बनने में धीमी होती है, पर अधिक टिकाऊ होती है। इसलिए समझदारी भरी प्रतिक्रिया ऋण पर बेरहमी से शिकंजा कसना नहीं है, जो उत्पादक उधारकर्ताओं को भी चोट पहुँचाएगा। उचित यह है कि क्षमता बनाने वाले ऋण को संकट का संकेत देने वाले ऋण से अलग किया जाए, और दूसरे को केवल वित्त का नहीं, मज़दूरी और सामाजिक संरक्षण का भी चेतावनी-संकेत माना जाए।

### Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गद्यांश के केंद्रीय विचार को सबसे अच्छी तरह प्रकट करता है?

- घरेलू उधार पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि वह भविष्य से माँग उधार लेता है।
- परिवार क्यों और कैसे उधार लेते हैं, यह उनके ऋण के स्तर से अधिक मायने रखता है।
- डिजिटल ऋण घरेलू संकट का मुख्य कारण है।
- वेतनभोगी कर्मचारियों को दिहाड़ी मज़दूरों से अधिक उधार लेना चाहिए।

### Q2. ऋण पर बेरहमी से शिकंजा कसना समझदारी नहीं, लेखक के इस मत की पूर्व-धारणा यह है कि

- कुछ घरेलू उधार उधारकर्ता की भविष्य की आय बढ़ाता है।
- बैंक केवल वेतनभोगी कर्मचारियों को उधार देते हैं।
- डिजिटल ऋण हमेशा बैंक ऋण से महँगे होते हैं।
- सार्वजनिक सेवाओं में हाल में सुधार हुआ है।

**Q3.** गद्यांश से निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है ?

- (a) घरेलू ऋण का बढ़ना हमेशा संकट का संकेत होता है।
- (b) ऋण-पोषित खर्च अर्थव्यवस्था को तुरंत हानि पहुँचाता है।
- (c) किराया चुकाने के लिए उधार लेने वाला परिवार चुकाने के साधन बढ़ाए बिना भविष्य का बोझ बढ़ा लेता है।
- (d) दिहाड़ी मज़दूर डिजिटल ऋण प्राप्त नहीं कर सकते।

**तर्कशक्ति और गणित**

**Q4.** गेहूँ का MSP ₹2,585 से बढ़कर ₹2,610 प्रति क्विंटल और कुसुम (safflower) का MSP ₹6,540 से बढ़कर ₹7,215 हो गया। एक किसान MSP पर 20 क्विंटल गेहूँ और 4 क्विंटल कुसुम बेचता है। पिछले वर्ष के भावों की तुलना में उसकी आय कितनी बढ़ेगी ?

- (a) ₹700
- (b) ₹2,700
- (c) ₹3,200
- (d) ₹16,000

**Q5.** पाँच राज्यों P, Q, R, S और T ने एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक अलग-अलग दिन श्रम नियम अधिसूचित किए। Q ने P से दो दिन बाद अधिसूचित किया। S ने शुक्रवार को अधिसूचित किया। R ने P से पहले अधिसूचित किया। T ने सोमवार को अधिसूचित नहीं किया। बुधवार को किस राज्य ने अधिसूचित किया ?

- (a) P
- (b) Q
- (c) R
- (d) T

**उत्तर-कुंजी और व्याख्या**

**Q1: (b)** ऋण का अनुपात 'अकेले बहुत कुछ नहीं बताता'; उद्देश्य और शर्तें मायने रखती हैं। (a) भ्रामक है, पर लेखक 'बेरहमी से शिकंजा कसने' को नकारता है; (c) और (d) बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहते हैं।

**Q2: (a)** शिकंजा 'उत्पादक उधारकर्ताओं को भी चोट पहुँचाएगा' तभी जब कुछ उधार क्षमता बनाता हो। (b), (c) और (d) अकथित हैं और अनावश्यक भी।

**Q3: (c)** किराये के लिए उधार 'चुकाने लायक आय पैदा नहीं करता'। (a) 'आत्मविश्वासी मध्यवर्ग' की अनदेखी करता है; (b) 'कुछ समय के लिए अर्थव्यवस्था को ऊपर उठा सकता है' का खंडन करता है; (d) असमर्थित है।

**Q4: (c)** गेहूँ:  $25 \times 20 = ₹500$ ; कुसुम:  $675 \times 4 = ₹2,700$ ; कुल ₹3,200। जाँच:  $81,060 - 77,860 = 3,200$ । ₹2,700 में केवल कुसुम गिना गया है।

**Q5: (d)** S शुक्रवार को है, इसलिए P सोमवार या मंगलवार को है। R, P से पहले है, अतः P मंगलवार, R सोमवार, Q गुरुवार; बुधवार T के लिए बचता है।

## 12. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 • निबंध • खंड A • 6 मिनट पठन (min read)

**राज्य उतना ही अच्छा होता है, जितना वह बाबू जो नागरिक के सामने बैठता है।**

विषय (Themes): सिविल सेवा और नागरिक • राज्य का वादा और उसकी पूर्ति • विवेकाधिकार, जवाबदेही और तकनीक

सितंबर 2017 में झारखंड के सिमडेगा ज़िले के कारीमाटी गाँव में ग्यारह साल की संतोषी कुमारी की मौत हो गई। उसकी माँ के अनुसार वह आखिरी समय तक “भात, भात” माँगती रही। परिवार का राशन कार्ड कुछ महीने पहले इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि वह आधार से जुड़ा नहीं था। कागज़ पर कहीं कोई चूक नहीं थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 परिवार को सस्ता अनाज पाने का हक देता था, संसद उसे पारित कर चुकी थी और बजट में पैसा भी रखा गया था। पर संतोषी का सामना कभी उस अधिनियम से नहीं हुआ। उसका सामना हुआ राशन की एक दुकान से और उस सूची से, जिसमें से उसके परिवार का नाम काट दिया गया था। उसके लिए राज्य का अर्थ वही सूची थी और वे लोग थे जो उस सूची को सँभालते थे।

आज संघ लोक सेवा आयोग अपने सौ वर्ष पूरे कर रहा है। ली आयोग की सिफ़ारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को बने लोक सेवा आयोग ने भारत को वह चीज़ दी जो गरीब देशों में दुर्लभ है: खुली, योग्यता-आधारित परीक्षा से चुनी गई उच्च सिविल सेवा, जिसे लॉयड जॉर्ज ने 1922 में पूरे ढाँचे का “स्टील फ्रेम” कहा था। यह निबंध यह तर्क रखता है कि इस ढाँचे की परख इस बात से होती है कि वह अपने आखिरी छोर पर क्या धामे हुए है। राज्य अपने वादे ऊपर करता है, यानी क़ानूनों, बजट और मंत्रिमंडल के निर्णयों में, पर उन्हें निभाता या तोड़ता नीचे है: पटवारी के रजिस्टर में, नर्स के घर-घर के दौरे में, सिपाही की लिखी प्रथम सूचना रिपोर्ट में। मंत्री और क़ानून बेहद महत्वपूर्ण हैं, पर उनका मूल्य तभी साकार होता है जब कोई साधारण नागरिक किसी काउंटर के सामने खड़ा होता है।

भारत इस खाई को लंबे समय से जानता है। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार गरीबों पर जो एक रुपया खर्च करती है, उसमें से लगभग पंद्रह पैसे ही उन तक पहुँचते हैं। 2009 में अर्थशास्त्री लैंट प्रिचेट ने भारत को एक “लड़खड़ाता राज्य” (flailing state) कहा: ऐसा राज्य जिसका सिर तो सक्षम है, पर जो अपने निर्णयों को लागू करने के लिए अपने ही हाथ-पैरों पर भरोसा नहीं कर पाता। आज की ख़बरें यही तस्वीर दिखाती हैं। चारों श्रम संहिताएँ दस महीने से लागू हैं, फिर भी केवल दस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने वे नियम अधिसूचित किए हैं जिनके बिना वे काम नहीं कर सकतीं; इसलिए गिग मज़दूर की वादा की गई सामाजिक सुरक्षा राजपत्र में तो है, उसके जीवन में नहीं। मंत्रिमंडल ने दलहन और तिलहन के समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं, पर जहाँ उस दाम पर खरीदने कोई अधिकारी पहुँचता ही नहीं, वहाँ समर्थन मूल्य दीवार पर चिपकी एक सूचना भर है। सूखे से जूझते महाराष्ट्र में गन्ना काटने वाले परिवार ठेकेदारों के कर्ज़ में बँधकर समय से पहले गाँव छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिन सार्वजनिक कामों में उन्हें घर पर रोज़गार मिलना चाहिए था, वे शुरू ही नहीं हुए। हर मामले में नीति घोषित हो चुकी है; जो ग़ायब है, वह है उसे ज़मीन पर उतारने वाला व्यक्ति।

राजनीति विज्ञानी माइकल लिप्स्की ने इन लोगों को “स्ट्रीट-लेवल ब्यूरोक्रैट” कहा: शिक्षक, पुलिसकर्मी, कल्याण विभाग के बाबू और स्वास्थ्यकर्मी। अपनी पुस्तक ‘स्ट्रीट-लेवल ब्यूरोक्रैसी’ (1980) में उन्होंने लिखा कि “इन कर्मचारियों के निर्णय, उनकी बनाई दिनचर्याएँ और अनिश्चितताओं तथा काम के दबाव से निपटने के लिए उनके गढ़े तरीक़े ही, वास्तव में, वे सार्वजनिक नीतियाँ बन जाते हैं जिन्हें वे लागू करते हैं।” जो सिपाही तय करता है कि किसी रसूखदार के खिलाफ़ शिकायत दर्ज करे या नहीं, वह असल में यह तय कर रहा होता है कि शिकायतकर्ता के लिए क़ानून है भी या नहीं। कौटिल्य जानते थे कि यह विवेकाधिकार दोनों ओर काटता है। ‘अर्थशास्त्र’ में उन्होंने चेताया था कि जैसे पानी में तैरती मछली को पानी पीते हुए नहीं पकड़ा जा सकता, वैसे ही सरकारी कर्मचारी को धन हड़पते हुए आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। बाबू राज्य का सबसे अच्छा चेहरा भी हो सकता है और सबसे बुरा भी, और नागरिक को शायद ही यह चुनने का मौक़ा मिलता है कि उसके सामने कौन-सा चेहरा होगा।

फिर भी, जब आखिरी कड़ी प्रशिक्षित हो, उस पर भरोसा किया जाए और उसकी निगरानी भी हो, तो भारतीय राज्य ने अद्भुत काम किए हैं। चुनाव आयोग का नियम है कि किसी मतदाता को वोट डालने के लिए दो किलोमीटर से अधिक न चलना पड़े। बरसों तक उसने गिर के जंगल के भीतर बाणेश में केवल एक मतदाता, मंदिर के पुजारी भरतदास दर्शनदास, के लिए मतदान केंद्र बनाया। भारत में चुनाव इसलिए सफल होते हैं कि जंगल में वोटिंग मशीन लेकर जाती मतदान अधिकारी को लगता है कि पूरा संविधान उसके साथ चल रहा है। पोलियो अभियान में भी यही हुआ, जब स्वास्थ्यकर्मी और स्वयंसेवक घर-घर, रेलवे स्टेशनों और ईंट-भट्टों तक पहुँचे, और अंततः 2014

में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो-मुक्त प्रमाणित किया। इनमें से कोई भी सफलता केवल किसी चतुर नीति से नहीं मिली; हर सफलता आखिरी छोर पर खड़े लोगों के स्वाभिमान और जवाबदेही से मिली।

इसके विरुद्ध एक गंभीर तर्क है। राज्य, यह तर्क कहता है, उसके बाबू नहीं, बल्कि उसकी संस्थाएँ हैं: संविधान, कानून और नीतियाँ। एक अच्छा बाबू किसी बुरे कानून को अच्छा नहीं बना सकता, और इतिहास के कई सबसे बड़े अत्याचार उन अधिकारियों ने किए जो अपना काम बखूबी करते थे। यह तर्क आगे कहता है कि तकनीक अब बाबू को पूरी तरह किनारे कर सकती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) पैसा सीधे बैंक खाते में भेजता है, और सरकार फ़र्जी लाभार्थियों को हटाकर भारी बचत का दावा करती है। दोनों बातें उचित हैं, पर वे इस कथन को खारिज नहीं करतीं। संतोषी कुमारी की मौत स्वयं तकनीक की कहानी थी: एक स्वचालित नियम ने कार्ड रद्द किया, और किसी अधिकारी के पास अपवाद करने का न अधिकार था, न इच्छा। तकनीक बाबू को हटाती नहीं, बस उसकी जगह बदल देती है: उसे ई-पॉस मशीन, हेल्प डेस्क और उस सर्वर तक ले जाती है जो किसी का अंगूठा पहचानने से इनकार कर देता है। और बाबू की गुणवत्ता कोई संयोग नहीं है; वह ऊपर गढ़ी जाती है, इस बात से कि अधिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन, निगरानी और दंड कैसे होते हैं। इस दृष्टि से देखें तो यह कथन ऊपर बैठे लोगों को बरी नहीं करता, बल्कि उनकी परीक्षा तय करता है।

यदि ऐसा है, तो सुधार की दिशा साफ़ है। स्कूलों, थानों और स्वास्थ्य केंद्रों के अग्रिम पंक्ति के रिक्त पद भरे जाएँ, क्योंकि कागज़ पर मौजूद पद किसी की सेवा नहीं कर सकता। प्रशिक्षण सबसे निचली सीढ़ी तक पहुँचे, जैसा 2020 में शुरू हुए मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य है। लोक सेवा गारंटी कानून, जिनकी शुरुआत मध्य प्रदेश के लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 से हुई, सेवाओं के लिए समय-सीमा तय करते हैं और चूकने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाते हैं। सामाजिक अंकेक्षण, जिसे आंध्र प्रदेश ने 2006 से ग्रामीण रोज़गार गारंटी में शामिल किया, ग्रामीणों को मस्टर रोल की सार्वजनिक जाँच का अवसर देता है। हर डिजिटल व्यवस्था में उस मामले के लिए मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश हो, जिसकी नियमों ने कल्पना नहीं की थी। सबसे बढ़कर, हर मेज़ को एक नैतिक कसौटी चाहिए। गांधीजी ने ऐसी कसौटी दी थी: “जो सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो, उसका चेहरा याद करो और अपने आप से पूछो कि जो क्रदम तुम उठाने जा रहे हो, वह उसके किसी काम आएगा या नहीं।”

पहले लोक सेवा आयोग के सौ साल बाद, स्टील फ्रेम का सही पैमाना यह नहीं कि उसके टॉपर कितने मेधावी हैं, बल्कि यह है कि राशन की दुकान पर किसी विधवा को, ख़रीद केंद्र पर किसी किसान को और श्रम कार्यालय में किसी प्रवासी मज़दूर को क्या मिलता है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि “भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों लोगों की सेवा जो पीड़ा में हैं।” राज्य एक ज़ंजीर है: उसकी मज़बूती ऊपर तय होती है, पर उसकी परीक्षा आखिरी कड़ी पर होती है, जहाँ नागरिक उससे मिलता है। ऊपर की योग्यता एक वादा है; काउंटर पर गरिमा, क्षमता और जवाबदेही ही वह तरीका है जिससे यह वादा निभाया जाता है। जो राज्य यह याद रखेगा, उसे उसके पारित कानूनों से नहीं, नागरिक के सामने बैठे बाबू से परखा जाएगा, और वह खरा उतरेगा।

*आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): UPSC की शताब्दी — 1 अक्टूबर 1926 का लोक सेवा आयोग • श्रम संहिताएँ लागू हुए दस महीने बीते, पर केवल 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने नियम अधिसूचित किए • मंत्रिमंडल ने गेहूँ का MSP लगभग स्थिर रखकर ₹2,610 किया, रबी की बढ़ोतरी तिलहन और दलहन पर केंद्रित • महाराष्ट्र ने 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित किया; कर्ज़ में डूबे गन्ना कटाई मज़दूर महीनों पहले पलायन को मजबूर*